

Shri V. P. Nayar: May I ask a question? A point was raised that Government at this stage, in 1954, still resort to a sort of preferential duty. The hon. Minister did not answer that point. Could I have something about that?

Shri Karmarkar: I did not answer that. I shall take some future opportunity to answer that.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed".

The motion was adopted.

DISPLACED PERSONS (COM- PENSATION AND REHABILITA- TION) BILL.

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): I beg to move....

Mr. Deputy-Speaker: On behalf of Shri A. P. Jain.

Shri J. K. Bhonsle: On behalf of Shri A. P. Jain, I beg to move:

"That the Bill to provide for the payment of compensation and rehabilitation grants to displaced persons and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

As the House will remember, in May last during the Budget session of the Parliament, the Minister for Rehabilitation introduced a Bill empowering the Government to acquire the rights and titles of evacuee owners of property in India and to utilise these properties for payment of part compensation to displaced persons.

It is not necessary for me to retrace the protracted and complicated negotiations which preceded this decision and which, by their failure, made the decision inevitable. There has been a persistent demand from displaced persons that the evacuee property should be allotted permanently to them without waiting for an agreement

with Pakistan. This demand has been further strengthened by the fact that Pakistan is in no mood to settle this vexed question of evacuee property on the basis of a just settlement between the two Governments. Against this background of fruitless negotiation and long deferred hope, it would be manifestly unfair for all displaced persons to base their permanent rehabilitation on a problematical settlement with Pakistan. The Compensation and Rehabilitation Bill is the practical expression of the decision of Government not to wait any longer on events but to carry to its logical conclusion the process of rehabilitation which began in 1947 and of which, if I may say so, the payment of compensation is the culminating act.

As the House is aware, this Bill provides for a compensation pool which will consist of evacuee property and the rents on these properties accumulated for the last seven years and the contribution made by the Government which has been already defined as stated in the Statement of Objects and Reasons attached to the Bill as introduced in Parliament. The Bill provides for the utilisation of the assets of the pool for compensation. The speed with which these properties are sold or transferred to displaced persons will have a direct bearing on the speed with which the scheme is implemented.

[SHRI BARMAN *in the Chair*]

The Bill has been before the Joint Select Committee of the Parliament and the Committee has presented its report to the Parliament a few days ago. The Committee considered a number of memoranda submitted to it by associations representing displaced persons and heard them at great length. It then examined the Bill with great thoroughness and has made a number of important changes. Amongst these I shall touch on three or four which deserve mention.

The first of these is with regard to the time and manner in which applications from displaced persons should be called. Hitherto, as the House is

aware, applications from displaced persons were successively called from categories of displaced persons who were considered to be the most deserving of compensation. Such categories were those of inmates of homes and infirmaries, widows and infirm persons. The first list of the priority categories, as they were called, covered about 55,000 cases and additions were made to it from time to time so that by October, 1954, roughly about 2½ lakhs of claimants, it is expected, will have applied for compensation. The Joint Select Committee has made a recommendation that this selective procedure based on categories should be discontinued and that applications should now be called from displaced persons from a particular State of a convenient group of States. They have further recommended that this process of calling applications should be completed by 30th June, 1955. This is an important provision which sets a limit on the time for inviting applications.

The second recommendation made is with regard to giving relief to banking companies. As the House is aware, banking companies were excluded from the purview of the Debt Adjustment Act 1951 and could not therefore seek redress from the tribunals appointed under that Act. The Joint Select Committee has made a recommendation to the effect that debts due to such banks and secured by a mortgage or a charge or a lien on the property, concerning which a claim has been verified, should be entitled to a share of the compensation due on such a claim. This is a measure which I am sure will receive the approval of the House as it helps the displaced banks to meet their requirements towards the depositors, most of whom are displaced persons.

The Joint Select Committee has recommended that trusts of all kinds should be excluded from the scope of this Bill and that the evacuee pool

should not be utilised to pay compensation for trust properties left behind in Pakistan. The Joint Select Committee has made a recommendation that special protection should be provided to displaced persons who, by virtue of being tenants in the property which is to be transferred under the scheme to evacuee owners, are in danger of being ejected. Some sort of special protection is very necessary because hundreds and thousands of properties tenanted by displaced persons of small means will have passed to new owners, and it would lead to great hardship and distress if steps were not taken to prevent their wholesale dislocation by the new property owners. Naturally, this protection will be forthcoming subject to the conditions which ensure fairplay to all concerned.

Another clause of the Bill which I would like to mention is clause 9 which lays down the procedure for deciding disputes as to the persons entitled to receive compensation. The power to settle such disputes is proposed to be given to officers to be appointed under this Act, as the Committee felt that it would be difficult for parties to have their disputes settled in a court of law. The question of succession in the case of a deceased claimant is also to be decided by these officers. Provision has, however, been made for reference of cases involving complicated questions of law to the District Judge, if the officer before whom such disputes arise is of the view that the case is a complicated one and ought to be decided by a District Judge.

The disbursement of many crores of rupees, and the transfers of hundreds and thousands of houses is a task for which only the word 'colossal' is adequate. The process will bristle with difficulties, because a major part of the pool is not in the form of cash which can be easily distributed, but in the form of properties. These properties have been occupied or tenanted by displaced persons for the last so many years, many of whom have claims and many have not. The

[Shri J. K. Bhonsle]

transfer of these properties must take place with minimum dislocation. We have provided a machinery which will function within the four corners of this Bill, and will be entrusted with this task.

So as to ensure that this machinery does not function lifelessly but that is animated and informed by a recognition of the essentially human and humane nature of its functions we have provided for its guidance an Advisory Committee which will be sensitive to the repercussions of this scheme on displaced persons and to reactions of informed public opinion. The Advisory Committee will interpret these repercussions and reactions for the benefit of those who will be entrusted with the working of this scheme.

I move that the Bill as amended by the Joint Select Committee be considered and passed.

Mr. Chairman: Motion moved:

"That the Bill to provide for the payment of compensation and rehabilitation grants to displaced persons and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

Shri D. C. Sharma (Hoshiarpur): I rise to speak this afternoon on this Bill, with very mixed feelings. In fact, I do not know whether I should congratulate the hon. Minister of Rehabilitation or the Members of the Joint Select Committee on the small mercies which they have given to the displaced persons, or to supplicate him or to appeal to him to relax to a considerable extent and to give them more facilities, more assistance and more aid.

The other day, while we were talking about the Bill, it was called a drama. Well, the problem of refugees has been a drama, and a very sad drama too. I do not want to call it a tragic drama, but all the same, I want to say that it has been a drama

which has been full of pathetic scenes from beginning to end. The question is whether this Bill rings the curtain on that drama. Does this Bill put an end to the drama which started in 1947? Perhaps, Government think that this Bill is a kind of measure which will ring down the curtain on this drama. But I would say that this should not be the measure for ringing down the curtain on this drama, but this should be a measure where the real process of rehabilitation should begin.

Of course, in a sense, the process of rehabilitation began in 1947, but I think, rehabilitation without compensation is like Hamlet without the *Prince of Denmark*. Rehabilitation has been going on all the time, and I cannot but thank the Government and the hon. Minister for the noble efforts that he has made, so far as this rehabilitation is concerned. No refugee can be blind to the colossal efforts that he has made in this regard. I use the word 'colossal', which was used by my hon. friend just now deliberately because I think it is an appropriate word. I cannot be blind to the colossal efforts which have been made by our Government to rehabilitate our friends, the refugees or the displaced persons from the different States of West Pakistan. I think they are making similar efforts to rehabilitate persons from East Pakistan.

But all those efforts have suffered from one defect, and I do not mind bringing that defect to the notice of my hon. friends and the hon. Minister. The defect has been that the measures which have been taken have not proved very efficacious, because the word 'delay' has been on them. One timely dose administered to a patient goes a long way to cure him, but if similar doses are repeated, and repeated not at the right time, they will not succeed in curing the patient to that extent. I cannot help saying that all the noble efforts which our Government have made in helping the displaced persons have been characterised by dilatoriness.

They have not been done at the right time, at the psychological moment, at the critical time, excepting in the case when they were removed from West Pakistan in good time. But so far as the relief measures are concerned, they have not been characterised by that proper sense of the fitness of time, which should have been there.

All the same, it has happened. But if you ask a refugee, a displaced person, as to what this rehabilitation means, what will he say? Of course, he has been given houses, he has been given other things, so many things have been done, there are colonies, there are work centres, there are educational grants etc. And those things mount up to a great deal. I do not deny that. But if you ask a displaced person as to what he means by rehabilitation, he will tell you 'Rehabilitation is equal to compensation'. That is what he will say. I must say that so far as the granting of compensation is concerned, we have been very tardy. I do not blame the Government, because it was a two-way traffic and the Government tried for a long time to arrive at some kind of settlement with the Pakistan Government. I do not think I am giving a secret away when I say that I met a few years ago a learned professor from Pakistan. I met him somewhere in India. I asked him, 'What do you think of your displaced persons?' He said: 'Well, what we have got from Lahore alone in terms of property and other things more than compensates us for all the losses that we have suffered'. He was an honest professor and he told me this.

An Hon. Member: Like Professor Sharma.

Shri D. C. Sharma: All professors are honest. That is what he told me. I tell you that that let the cat out of the bag so far as I am concerned, a man of limited understanding. Why should they have entered into any agreement with us when they had got tremendously much more than they had left behind? They were the 'haves' and we were the 'have-nots', they were the people who had got things and

we were the people who had lost things, and since they were in a more favourable position, they did not try to enter into any agreement with us. Of course, I must say that our Government which always believe in peaceful negotiations, which always believe in agreed solutions to great problems—whether they are domestic or international—did their best to come to some agreement with them. But whereas our Government tried to meet them more than half-way, they did not budge an inch—because it is very difficult to give back what you have got! Therefore, I say that the delay was due to the fact that we tried to arrive at some kind of settlement with the Pakistan Government. Now, that has not come forward, and I am glad that our Minister of Rehabilitation has been bold enough to come to this decision,—I am glad that our Government have been bold enough to come to this decision—that we must now take a unilateral action. A unilateral action in the present circumstances of the case was the only thing possible, and I am glad the Government have taken it. But if a question had been put to displaced persons from West Pakistan about unilateral action *versus* bilateral action, I think every one of them—whether he was educated or not whether he was literate or illiterate, whether he was a property owner or a person who had no property—would have said: 'Do not have any negotiations with Pakistan in this matter. By doing so, you are only postponing the day of giving compensation. You should have gone on with your compensation scheme long ago'. Sir, that is what made for delay, and this delay has been dangerous in terms of the psychology of our displaced persons. Refugee rehabilitation is not to be taken only in terms of houses and money—they are, of course, very important—it is not to be taken only in terms of property—that is also very important—but I tell you that refugee rehabilitation is to be taken also in terms of psychology. You have to cure the wound which had been inflicted on the mind of the persons, and

[Shri D. C. Sharma]

I must say that this delay has not been conducive to the assuaging of that wound; it has only added to that.

Again, there is another thing. Here in the Report of the Joint Select Committee, which has been circulated to us, I find a memorandum given by the displaced persons....

Mr. Chairman: What I propose to do is this. As the hon. Member, Shri D. C. Sharma is the first speaker, I will allow him half an hour. He has already covered 15 or 16 minutes. He will please accommodate all his arguments within another 14 minutes.

Shri D. C. Sharma: May I request you....

Mr. Chairman: What I meant to say was this. After all, this is a very important Bill and when we come to the clauses, we will take much time. So instead of taking too much time on the general consideration motion, many of the Members will have opportunity to speak when we come to the clause by clause consideration stage. In that way, we may economise time, because the time is, after all, limited by the House itself.

Pandit Thakur Das Bhargava (Gurgaon): May I suggest one thing? So far as the clauses are concerned, I want to bring to your notice that they are not likely to take much time.

Mr. Chairman: I see.

Pandit Thakur Das Bhargava: The amendments are very simple and after the hon. Minister has made his statement or has given his assurance, they are likely to be withdrawn—all of them. That is my view. I, therefore, request you to kindly allow more time so far as the general consideration is concerned, than so far as the clause by clause consideration is concerned.

Mr. Chairman: I did not know that. Anyhow, when the Deputy-Speaker comes, he will settle the matter. Meanwhile, Shri D. C. Sharma may go on. He will finish within the time allotted.

Shri D. C. Sharma: I request you to ring the bell five minutes before the thirty minutes are over.

Now, that delay, I tell you, has caused a lot of unnecessary delay. At the same time, that delay has been responsible for other things. Look at page 47 of the Joint Select Committee Report. In a memorandum which was submitted to the Joint Select Committee, it has been said:

"The evacuee property pool which could have contributed considerably to the compensation pool was allowed to dwindle away due to a loose definition of evacuee property in India. In Pakistan, all non-Muslim property is treated as evacuee property. There are many cases where the holder of the property is in India but all the members of his family are in Pakistan, and taking advantage of the existing provisions, uncontrolled amounts are remitted to Pakistan for the purposes of their maintenance or trade. Evacuee property has been restored to Muslims in many cases solely on the statements of the claimants, without considering any other evidence. Furthermore, there is a lot of concealed property which has not been declared evacuee property either due to laxity in the enforcement of the law or slackness of the Custodian in tracing the owner".

Now, this is a statement which finds place in the Report of the Joint Select Committee. I would like the hon. Minister to tell us how this evacuee property has dwindled and what steps he is going to take even now to see to it that concealed evacuee property is brought to light, and that the valuation of the evacuee property—which is getting less and less every day on account of several factors into which I need not go—is going to be kept at some place. Therefore, I say that this delay has been due to the fact that the question of evacuee property has not been settled as well as possible.

The second thing is—I do not want to go into the details of that—the Government had at its disposal about Rs. 185 crores. I have seen from the memoranda submitted by some of the refugee associations that they want that this sum should be under-written; that this sum should be so fixed that you cannot get out of it. I think that this is something which the hon. Minister can do and he can say that this sum would be underwritten.

But that would not solve the problem because I know there cannot be two laws. There are two types of refugees with whom we are dealing. There are the 'rural refugees' and the 'urban refugees' if I may call them like that. The rural refugee—I am told—has got about 66 per cent. of what he left behind—of course, there are various estimates, some say it is 66 per cent. and some others say it is 50 per cent. Let us take it as 50 per cent. Therefore, there is the rural refugee who has been given at least 50 per cent. what he left behind. Now, what about the urban refugee? I would say, that so far as rehabilitation is concerned, we should not have two laws or two principles. We should have only one uniform principle and I would request the hon. Minister for Rehabilitation to see to it that the law which is operative in the case of rural refugees should also be made applicable in the case of urban refugees. The urban refugees should be given—I am afraid to name the sum—at least 50 per cent. of what he has left behind. Now the question is: How can that be done? From that point of view, I would draw the attention of this House to the scheme which was put forward by the All India Refugee Association. I think that scheme is workable. It is nothing utopian; it has been formulated by those persons who have looked at the refugee problem from a very dispassionate angle. Let us see what they say. They say that there should be three stages for the payment of this compensation. The first stage should be when you give proportionately to

the people out of these Rs. 185 crores which the Government thinks it has at its disposal for compensation. They also say—and I endorse the remark and I think many Members of the House would endorse that suggestion—that the Government should bring this compensation to the level of compensation for agricultural land. That is their second suggestion. Then, you know, Sir, that life is very very complex. How do you know that we are not going to be on negotiating terms in the matter of rehabilitation with the Pakistan Government? We may be in a position to negotiate with them some day or the other. The third stage would come then, when we are able to get some money from Pakistan as a result of our negotiations. I know some of my friends think that this idea is utopian. The third stage may come or may not come. I am an optimist and I hope it will come. I believe that sometimes things happen which, we, in our limited understanding, think are not going to happen.

Again, I say that in this Bill a great deal has been done to mitigate the hardships of refugees. For instance, I know that there is remission of loan to the extent of Rs. 500; that is very good. A new definition has been given about 'public dues' and I am very happy about that. At the same time something has been done with regard to trusts. All these things are there; but I would ask the hon. Minister to give the refugees some assurance about their eviction. Sir, I may tell you one thing. I come from a city where there are a large number of refugees. Some of them are merchants and traders. They have come and told me—I think I have sent a copy of their representation to the hon. Minister also—that the shops which they are occupying at present may not be theirs when they are put to auction, because a refugee is not one who has got abundance of money. What will happen to them if they are turned out of their present shops? Of course, you have said that they would not be turned out for two years, but that is only a palliative. Something should be

[Shri D. C. Sharma]

done to see that this refugee property is given to refugees only and non-refugees who have more money than the refugees should not be allowed to come on the scene and take away that property thus rendering the refugees, refugees for a second time. If you ask them to go out of their shops—though it may be after two years as you have stated—they will again be looking for shops, again looking for a home, again looking for business and other things. Thus they will be refugees a second time. I think, Sir, the hon. Minister for Rehabilitation will find some solution to this problem of eviction. I hope, at least he will see that there is no dislocation of business on account of that.

Then again, the Government has built so many houses, colonies, shops and all that for the refugees. So many persons have given me memoranda to the effect that the houses are not being priced as fairly as they should be. For instance, the houses were built some years ago and at that time their price stood at something whereas the price now is being enhanced. I would, therefore, request the hon. Minister to look into this matter and see that the houses and shops allotted to refugees are given on a 'no profit, no loss' basis. That is what should be done.

As I said in the beginning, much has been done and, perhaps, much remains to be done, but the crux of the problem is this compensation, and I would say that the machinery which the hon. Minister is going to bring into existence for the distribution of this compensation should not work—if I may say so—according to the tradition of the British Civil Service; that is to say, it should not work in a slow and dialatory manner, but something should be done to tighten it up with a view to see that they finish their work as expeditiously as possible. I know there are some friends of mine who want a time-limit for the finishing of this work. I do not want to suggest any time-limit. I only want to say

that this machinery should be such as may function efficiently, and speedily.

At the same time, I have heard complaints about the refugee rehabilitation machinery that we find today which may or may not be true. They come to my ears as they come to the ears of some of my other friends. The general complaint is that the present machinery lacks the human touch. I would, therefore, request the hon. Minister to see that this machinery is humanised.

2 P.M.

Then, Sir, the most important part of this Bill is the framing of rules and I should like to say a word about that, because it is on account of the framing of the rules that the implementation of the Act would come about. I would, therefore, request that these rules should be placed on the Table of the House as early as possible so that we may know how the implementation is going to take place. They should be placed before us so that we can approve of them and see that they are going to work to the advantage of the refugees. As I said in the beginning, I received this Bill with mixed feelings and I say that the Bill is good as far as it goes, but would appeal to the hon. Minister for Rehabilitation that the compensation should be given to the displaced persons as early as possible and that he should also see to it that the compensation, which is given, is more abundant than it is at present. This is the only appeal I wish to make and I am sure he will listen to this appeal and grant it.

Shrimati Sucheta Kripalani (New Delhi): I am happy that at last, after seven years, this Compensation Bill has come before the House. The refugees have been waiting with very great patience for this compensation. The Government has done a lot to rehabilitate the refugees, no doubt. Yet, there are thousands of refugees who are not properly rehabilitated or not rehabilitated at all and they are expecting that after they get the compensation, they will be in a position

to rehabilitate themselves with their own money.

As a member of the Select Committee, I do not wish to say much about the Bill. I stand by the report of the Select Committee and I feel that the Select Committee has considerably improved the Bill. I would like to draw the attention of the House to certain basic and fundamental matters pertaining to the whole scheme of compensation. We are now ready to give compensation to the refugees and the amount available with the Government for compensation is Rs. 100 crores worth of evacuee property and Rs. 85 crores spent by the Government on Houses loans. In all, Rs. 185 crores are there to be given to the refugees as against Rs. 550 crores that the refugees have left in Pakistan—the Rs. 550 crores represents only the immovable property and crores worth of movable property have been left which do not come into the calculation. I would like to remind the House that we have heard a lot about the harshness of the evacuee law and in particular, our Prime Minister constantly criticised it. It is a fact that this law is abnormal and harsh, but we have to take into consideration the circumstances under which that enactment was made. In 1947 there were migrations of a large number of Muslims from India and a very large number of Hindus and Sikhs left Pakistan and properties worth crores of rupees were left behind with nobody to manage them. Under those circumstances, not as a measure of harshness but as a measure of kindness both the Governments decided that they would take over the properties in order to properly manage them as well as to compensate the refugees out of the properties that came under their control. You will remember that at that time there were certain attempts made by refugees to carry on private negotiations to effect exchange. The Government put a stop to it as they thought the refugees would not succeed much by means of private exchange and they decided that the exchange should be on a Government to Government

basis. Liaqat Ali and our Prime Minister met and arrived at this conclusion. As a result of this agreement the custodian organisation was set up in this country as well as in Pakistan. Lakhs of rupees were spent since then up to this time on this organisation. Here, I would like to draw your attention to the fact that considerable difference in the situations prevailed between the two countries. In India four to five crore Muslims remained and the property that came under the Government's control is supposed to be worth Rs. 100 crores. Non-official computation puts it even below between Rs. 80 and 90 crores. Whatever it may be, we may take the property as worth Rs. 100 crores. In Pakistan, the entire Hindu and Sikh population from the North-West Frontier and from Baluchistan and Bhawalpur came away only about two lakhs of Hindus are perhaps in Sind and they are Harijans.

Shri Pataskar (Jalgaon): Are there any Hindus in West Punjab still?

Shrimati Sucheta Kripalani: Most of the Hindus have left West Pakistan. Only in Sind there are a very few Harijans and they do not have properties. Therefore, Pakistan was in a very advantageous position and the real intention of Pakistan has been throughout not to come to any settlement. A mention has been made to this by the Deputy Minister when he introduced the Bill. They have always frowned upon Muslims going to their country from India and at the same time they have been pressing that the rigours of the evacuee property law should be softened. Perhaps it is an open secret that when Pandit Nehru and Liaqat Ali met in 1950, one of the first demands made by Liaqat Ali was the abrogation of the evacuee property law. Again when Mr. Mohammed Ali met our Prime Minister, his first demand was also the abrogation of the evacuee property law, but our Government took a different stand. Our stand was that abrogation of the law should follow a settlement and not precede a settlement. For seven years protracted negotiations were

[Shrimati Sucheta Kripalani]

going on. After these seven years we have now come to the conclusion that no settlement can be made with Pakistan. The pressure of Pakistan did have some effect upon our policy—not pressure alone but our own secular policy also had something to do with it. Therefore, we have seen that in all these seven years gradually administrative and other steps have been taken by which the evacuee property law has been rendered somewhat inoperative. I do not want to go into the whole struggle, but there are landmarks in the struggle. You will remember the Chhatriwala case. There was a difference of opinion on the interpretation of the law and as a result our Custodian-General, Mr. Achru Ram, had to resign—He was an eminent Judge and supposed to have a fair mind. But he had to go. In 1952 we softened it by an amendment to the Bill by deleting the intending evacuee clause. Gradually, a policy has been followed by the Government to soften the rigours of this law. The final expression of this policy was seen on the 7th May 1954 when the working of the evacuee property law was suspended. This was done not with the knowledge of the Parliament but as an administrative measure. This came as a surprise to a large number of persons..

The Minister of Rehabilitation (Shri A. P. Jain): May I correct this? I made a statement in the Parliament to the effect that the evacuee property law was going to be abrogated by executive orders.

Shrimati Sucheta Kripalani: I am sorry; I was not present then. Since the 7th, between 8,000 and 10,000 applications have been put by Muslims for restoration of their property. I have all sympathy with the Muslims and I am all for giving them their just right, but the trouble comes when justice has to be done to one at the cost of the other. If compensation pool had been separated from evacuee pool, this trouble would not have arisen. How did Pakistan react to this policy?

Did we get any appreciation from Pakistan. No. The Pakistan press carried on a propaganda that we were ill-treating our Muslim citizens. May I ask whether the refugee interest must continue to be sacrificed in order to render justice to evacuee Muslims? Mr. Gopaldaswami Ayyangar who was the then Minister, had promised to the refugees that they would get a substantial compensation. When he made this promise he thought that we would realise something from Pakistan from the property left there. The Ministry had a formula about the formation of the compensation pool. This is known as the 'XYZ formula'. The compensation pool was to be composed of properties from three sources: X—property that would be recovered from Pakistan; Y—the contribution of the Government and Z—the evacuee property pool here. There were expectations that sufficient amount of money would be available with which we would be able to pay compensation to the refugees.

As far as X is concerned it has totally evaporated and Pakistan has totally refused to give back to us any part of the property. As far as Y is concerned, we have been pressing our Prime Minister to give some money to the pool but the reply we have received is that it is not possible for him to give more money at the cost of the poor taxpayer. As far as this is concerned, all that we have got is Rs. 85 crores which were originally spent by the Rehabilitation Ministry for the refugees in the shape of loans and houses. As far as the evacuee pool is concerned, that is Z, what have we got? Let us see the position. Because of the liberal measures that we took by amending the Act in 1952 by the May decision, there are now about 10,000 applications for the restoration of property from evacuee Muslims. There may be a few more applications coming. I would ask the Ministry of Rehabilitation to correct me if I am wrong. When these are finalized, quite a good slice of the

pool would be reduced. Rs. 100 crores will not be available. It is very natural therefore that the refugees are greatly perturbed. Our Minister of Rehabilitation is asked to compensate these large number of refugees who have left more than Rs. 550 crores worth of property out of Rs. 185 crores only. Even this Rs. 185 crores may dwindle down into a smaller amount.

Unfortunately, our Rehabilitation Minister has not got the miraculous power that Jesus Christ had of feeding 5,000 with five loaves of bread. He would have fed these thousands of refugees had he that miraculous power. Can he perform that miracle? If there is any reality or any seriousness behind the compensation scheme, Government should realise that they must put a substantial amount into the pool so that the refugees are really able to be compensated. The entire opinion invited is in favour of a larger contribution. The Select Committee consisting of 51 or 52 Members agreed and appealed to the Government that a larger amount should be provided. We had so many representations from a number of refugee associations. Every representative was of the opinion that they should be paid compensation to the extent of cent per cent. We have stated that even if the Government cannot compensate to the extent of cent per cent., at least to the extent of fifty per cent. they should be compensated. The argument advanced to us was that the rural claimants have been compensated to the extent of 66 per cent., to 70 per cent. Then, in the case of urban claimants why should they be compensated only to the extent of 20 per cent. or 25 per cent.? There should be some sort of fairness and equality between the compensation of the rural and urban claimants.

Therefore, I feel that though the Government is trying to compensate the people in order to rehabilitate and satisfy them, this Bill will be a great disappointment, to the refugees. We were all waiting with the greatest

anxiety for the day when the Bill would come but now it has come in such a shape that we feel the entire scheme will not be workable. I do not know if our Rehabilitation Minister would be able to do anything; had I been in his position, I would have found my position to be very difficult. How can he compensate so many people with so little money? There are all sorts of refugee demonstrations and representations going on. There is a great clamour against the selling of houses by auction. All these problems can be settled only when a large amount is put into the pool. Why are the houses to be auctioned? Why is an attempt made to get the highest value for these properties? It is because there is not enough money in the pool. The Rehabilitation Minister is trying to get the best value for the property in the pool. We want sufficient amount of money to compensate the refugees. You cannot compensate them with a very little amount. I feel that all this agitation that is going on will subside and the refugees will be satisfied only when a substantial contribution is made by the Government to the pool. It would be very unfair if the Government could not compensate them adequately. I think this kind of compensation is more or less farcical in spite of the best intentions of the Government. I do not blame the Rehabilitation Minister; I know he is very anxious but the Government must realise that they cannot give adequate compensation out of the Rs. 185 crores.

Shri Pataskar: What would be the amount of contribution for the urban programme if it is raised to 66 per cent?

Shrimati Sucheta Kripalani: The Select Committee has recommended Rs. 250 crores.

Shri N. B. Chowdhury (Ghatal): Sir, we consider this Bill an important and significant one because it concerns the vital interests of millions of uprooted people who had fallen victims to the arrangements of 1947 into which some of the leaders of our country entered and as a

[Shri N. B. Chowdhury]

result of which there was Partition and these unfortunate people had to suffer these terrible miseries. It is not my intention to describe the horrors and other sufferings they went through, with which we are quite familiar. It seems that the Government is going practically to wash their hands of these people with the measures contemplated in this Bill. We thought that they would rather take this very seriously the question of compensation and rehabilitation which had been brought in. All that has been done by the Government up-to-date has a relation to this Bill and here in this scheme Government has contemplated a pool which is not at all sufficient to meet the minimum commitments of rehabilitation work. Here is a pool of Rs. 185 crores about which many doubts have been expressed but even if we do not go into that matter, we find that, taking into consideration the needs of rehabilitation, this will not at all be sufficient. There had been no doubt long and protracted negotiations with the Pakistan Government and for reasons which we all know very well it has not become successful. This is a problem which is facing millions of refugees. No doubt, houses have been built and some stipends have been given and some maintenance allowances are being given to the refugees. There are still refugees who are in a precarious condition because a large number of them still lack shelter and a large number of them have no security. They do not know where as yet to get shelter after the auction that is taking place. So all these difficulties are before us.

Now, if we are really to discharge our responsibilities towards these people, what we have to give serious consideration to is the problem of proper rehabilitation of these people. And when we consider it we find that the amount, the pool that is contemplated is not at all a sufficient one.

Coming to the Bill we find that it is merely an enabling measure. The

concrete scheme that has been given in certain booklets issued by the Government like the Interim Compensation Scheme and which has been declared on the floor of this House from time to time or in the hon. Minister's statement, we do not find any such concrete thing in the Bill itself.

We have made it clear in our note that certain things will be done in the manner prescribed, and the responsibility will be that of the officials. And from our experience of the working of this administration we cannot be confident about the success of the scheme itself that it would be done smoothly, that it would be done fairly and squarely and honestly. We cannot have that confidence. So that is one major difficulty with regard to this Bill. With regard to so many things, whether it is managing corporations, whether it is a question of looking into the disputes, whether it is the question of allocating houses or carrying on auction, etc., all these things are to be done according to the Government rules and according to the directions of certain officials. Not that we condemn all officials, or we think that officials are never honest. But from the experience we have, we find that certain difficulties crop up that way.

Then regarding this pool, there has been a claim for 66 per cent, and all the representatives who gave evidence before the Select Committee demanded that it should be like that. The Members of the Select Committee felt very strongly that this pool should be augmented and there should be more money coming from the Government. In fact they have all recommended it. So there are no two opinions on that. But what we are worried about is this. The feeling is one thing and actually doing is another. So Government must give an assurance here while we are going to pass this Bill that Government will provide the necessary additional amount in order that there may be proper

rehabilitation of all those refugees who need rehabilitation, whether it is necessity of shelter, necessity of education of their children, necessity of business when it can be made available, whether it is a question of proper township or colony, etc. So all these things have to be looked into and Government would have to continue to look after these people so long as it is necessary. Therefore there can be no time-limit about it. And there can be no limit of amount with regard to this rehabilitation work. Government will have to take all this responsibility and continue to work. The Ministry would have to continue to work so long as there is need for rehabilitating these people properly.

Then regarding allocation of houses etc., everybody has demanded that it should be on a no-profit no-loss basis. In fact there was some assurance of the Government with regard to that, with respect to certain categories. But we should like to know whether all houses built by Government and all houses that are going to be disposed of in connection with the implementation of the measures contemplated in the Bill, ought to be on that basis or not.

Then about the people who are now occupying the houses which have been declared to be evacuee houses, no doubt we feel that the refugees should be given priority and they should have houses to put their heads in, but in a place like Delhi and also at some other places where the accommodation problem is very serious, if people are living in such houses for many years, living even before partition, in such cases there should be a guarantee that these people would not be evicted; and in spite of any tenancy laws and rent control orders that may be existing, these people should be allowed to live in those houses for at least five years. We have made it very clear in our note that there should be such a guarantee and it would have been better had it been mentioned in the Bill itself.

Then about the poorer classes of refugees, agricultural workers and people who had tiny plots of land it has been said in this Interim Compensation Scheme that out of 5,75,000 agriculturists of the Punjab some 4,75,000 have been given lands on this two-thirds basis. But what about the rest? It is said in the booklet that these people, some 1 lakh or so, are mostly working in cities here and there. But what is their present condition? What are they doing now? We should like to know that.

And there are other people, certainly middle class people and poorer people who have come over and who have taken loans from the Government. Students belonging to such families have got certain stipends. Why not Government waive that? Why adjust this compensation with all sorts of public dues and so many other things? Why not Government come forward and declare that these stipends would not be deducted from the amounts that would be due to their guardians who are entitled to compensation and who have claims? Government have granted stipends and scholarships to other persons, to certain categories of people who require special help, such as Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Why not extend the same facility to the refugee people? There are so many people who come under this category, and we think that these stipends and scholarships should not be accounted for while calculating this compensation.

Then I want to draw your attention to another matter. That is with regard to the question of Indian nationals. Due to the different Evacuee Laws that have been enacted here certain Muslims who are still Indian nationals are suffering some difficulties. They might have shifted from one place to another; and for that reason, wrongly, their houses have been declared as evacuee property. Whereas we want that every case of genuine evacuee property should be declared as such, we also want to urge strongly that by a wrong

[Shri N. B. Chowdhury]

declaration no Indian national should be made to suffer, to whatever community he may belong, simply because due to certain difficulties these innocent people had to shift from one place to another. So if any such property has been wrongly declared in the Evacuee pool, we must see that it is properly examined, and there should be no difficulty of these people in their getting back their property.

Then I come to the question of claimants and non-claimants. There are certain people who have not filed any claims, or who have very small claims. But they have taken loans and certain maintenance allowances have been granted to them. In their case we have to condone the maintenance allowances in the case of very small claimants and in the case of non-claimants. Certainly there is greater need of looking after them and so in their case we should have to continue to take measures to rehabilitate them properly. About the rate of compensation, we demand.....

Mr. Chairman: Mr. Chowdhury, whatever you have included in your note of dissent you need not repeat, in order to economise time. Many hon. Members have sent slips.

Shri N. B. Chowdhury: I would not say much more on the Bill at this stage. I shall conclude within a few minutes.

As regards the other important things to which I wish to draw the attention of the House, the first is the question of the managing corporations, welfare corporations, etc. We no doubt feel the necessity for some administrative organisations. It is certainly good that the Government have accepted the principle of non-official representation on these bodies. We should give them greater representation. The hon. Minister would find no difficulty in agreeing to such a proposal. In fact, we wanted to give more representation to these refugee representatives so that they could look after these properties better. With

regard to these and any other kinds of corporation that may be contemplated under the powers given under this law, we should see that there is proper representation to the real representatives of the refugees.

With these few words, I urge upon the Government that this compensation pool should be augmented at least to the extent of 50 per cent. of the aggregate value of the verified claims. This has been pointed out in our note. I would again finally say that the Government would have to continue to take responsibility for the rehabilitation work so long as there is need. In all auctions, allocation of houses and the implementation of the measures contemplated here, they have to be vigilant and careful so that on account of corruption or other extraneous things, the refugees' interests may not suffer.

सरकार ९० एस० सहगल (बिलासपुर): सभापति जी, यह जो डिस्प्लेस्ड परसन्स कम्पेन्सेशन एंड रिहैबिलिटेशन बिल लाया गया है और जिस सूरत में यह सिलेक्ट कमेटी के पास से आया है, उस पर जो मेरी राय है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सिलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पृष्ठ ४ पर क्लॉज १९ के बार् में यह सिफारिश की है:

"The amount available in the compensation pool is very inadequate and disproportionately small as compared to the amount of the verified claims. The relief or rehabilitation grants to public institutions should, in the opinion of the Committee, come out of General Revenues of the country, and not from the compensation pool."

यह सबसे बड़ा सुझाव सिलेक्ट कमेटी ने आपके सामने रखा है। मैं यह कह सकता हूँ कि जब तक कम्पेन्सेशन पूल के लिए सरकार या यह सदन और ज्यादा रुपया नहीं देता तबतक इससे कोई फायदा नहीं हो सकता और जिन रिफ्यूजीज को हम कम्पेन्सेशन देना चाहते हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं मिल सकता। अखिर यह

रूपया आवेगा कहां से? यह कम्पेंसेशन पूल तो ठीक है लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि आज से पांच सात साल पहले जो जायदाद की कीमत थी वह आज नहीं रह गई है। इसके अलावा पहले जो बाजार में जायदाद की कीमत थी वह आज नहीं है। इन सब चीजों को देखते हुए मेरा ऐसा ख्याल है कि इस कमी को हम कहां से पूरा कर सकेंगे।

सभापति जी, दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने अपनी दरखास्तें नहीं दी हैं उनकी दरखास्तों का क्या होगा। उनकी दरखास्तों पर आप गौर करेंगे या नहीं। आपके क्लॉज ५ में है कि:

"Genuine claims of persons who did not file their claims in time or those who have come to India after the last date prescribed for the submission of claims may be dealt with under this clause."

इसके मूताबिक आप उन लोगों को अधिकार दते हैं और वे दरखास्त दूँ सकेंगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसमें शक है कि यह जो आप रूपया कम्पेंसेशन पूल से देना चाहते हैं इसको आप दूँ सकेंगे या नहीं। जहां तक मैं समझ पाया हूँ और जहां तक मेरी बुद्धि दाँढ़ती है वह यह है कि सरकार किसी किसिम से इससे ज्यादा रूपया देने के लिए तैयार नहीं है। यह मेरी राय है, हो सकता है कि यह गलत हो। अगर मेरी यह राय गलत होगी तो माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक कर देंगे। मेरी ऐसी धारणा है कि अगर सरकार लांग टर्म बाँड्स जारी करती तो उससे काफी रूपया आ जाता और वह रूपया दिया जा सकता था। हो सकता है कि मेरी इस धारणा पर मेरी और मंत्री महोदय की राय न मिले। लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर हमने ऐसा किया होता तो इसमें हमको बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। इसीलिए हमारे लोगों को जितनी मदद मिलनी चाहिए वह नहीं मिल सकेगी। आपने १८५ करोड़ रूपया रखा है। मगर मेरा ऐसा ख्याल है कि यह रकम काफी नहीं है। क्योंकि जो दूसरे और लोग हैं उनको आप कहां से रूपया लाकर देंगे। जिन लोगों ने अभी अपनी मांगें नहीं दी

हैं उनको आप रूपया कहां से देंगे। जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने इजारा की तादाद में अपने क्लेम्स दूँ रखे हैं। आप उनको भी उनकी चीजों के लिए रूपया देना चाहते हैं। वे यहां से चले गए थे। लेकिन हम उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमारा पहला एग्जीमेंट १९४९ में हुआ था। हमारे यहां जो जायदाद थी उसकी उस वक्त से कीमत बहुत कम हो गई है। उसके बाद दूसरी कान्फरेंस २६ जुलाई, १९४९ को हुई पर उसमें भी हमारा उनका कोई तस्फिया नहीं हुआ। और उसके बाद पाकिस्तान ने एक आर्डिनंस जारी कर दिया और उनके यहां जो जायदाद छोड़ आए थे उसे वहां के लोगों को दे दिया। इसके बाद ५ मार्च, सन १९५२ को हमारे यहां यह हुआ कि हम सेंटलमेंट करें। अगर आप सेंटलमेंट करेंगे तो उनकी जो यहां दरखास्तें हैं उन पर गौर किया जाएगा मगर जो हमारे भाइयों की वहां जायदादें हैं उन पर नहीं किया जावेगा। आखिर रूपया तो हमको उन्हें भी देना होगा। यह रूपया आवेगा कहां से। मेरी गरज यह है कि किसी न किसी तरह से आपको रूपया देना चाहिए और देने के लिए जो उनकी चीजें हैं उनको पूरा करना चाहिए। इसीलिए मेरी अर्ज यह है कि इन बातों पर आप विचार करें। जो यह विधेयक रखा गया है इससे हमें कुछ ज्यादा मिलने की आशा नहीं है। पाकिस्तान से हमें कुछ मिलने की आशा नहीं। अगर वहां कोई इमानदार सरकार होती तो वह कहती कि जो तुम्हारा हमारे यहां है वह हम देने के लिए तैयार हैं और जो हमारा तुम्हारे यहां है वह तुम दूँ दो। लेकिन वह सरकार इमानदारी से नहीं बरत रही है मैं नहीं समझता, सभापति महोदय, कि मैं ऐसी सरकार के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करूँ।

आपकी सिलेक्ट कमेटी ने जिन चीजों पर गौर किया है उनमें बहुत से धर्मार्थ ट्रस्ट हैं:

"That payment of compensation to displaced trusts having verified claims will not be justifiable from the compensation pool and the wards and to any public institutions administered for the benefit of displaced persons."

[सरदार ए० एस० सहगल]

उनको आप कुछ दंगे या नहीं दंगे। उनको आपके पुल में से कुछ मिल सकेगा इसमें मुझे शक है। मेरा तो यह कहना है कि जो हमारा भाई वहाँ से यहाँ आए हैं उनके लिए तो यह १८५ करोड़ रुपया ऐसे है जैसे कि "ऊंट के मुँह में जीरा"। इस रूप से हमारा कोई कार्य होने वाला नहीं है। सभापति जी, किसी कीब ने कहा है कि "जिस तन लागे सोई जाने और को जाने पीर पराई", जिसके हृदय में लगती है वही जानता है। हम और आप उसको नहीं जान सकते हैं। इसीलिए मेरी माननीय मंत्री से अर्ज है कि वह और भी कोई कार्रवाई करें। वह कैबिनेट से कह कर और सरकार से कह कर और मदद करें।

सभापति जी, जहाँ पर हमारा रिफ्यूजी भाई रहते हैं उनको निकाला जा रहा है। मान लीजिए कि उनके मकान की किसी ने ऊंची बोली लगा दी, तो वह मकान उसको दं दिया जाएगा। फिर जो वहाँ रह रहे हैं उनकी क्या हालत होगी।

जब एक गैर-शख्स उस मकान या जगह को ले लेता है तो उस बंचार रिफ्यूजी को निकालता है और तब वहाँ पर भगड़ा और दूसरी बातें खड़ी होती हैं। इसीलिए मेरी अर्ज है कि जो यहाँ पर रह रहे हैं वह अगर उन जायदादों को लेना चाहते हों तो उनको दं दनी चाहिए दूसर लोग जो कि आकर वहाँ पर जायदाद खरीदना चाहते हैं उन्हें नहीं दनी चाहिए। इन शब्दों के साथ सिलेक्ट कमेटी ने जो इतनी मेहनत के साथ इस चीज को बनाया है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि मैंने जो सुझाव दिए हैं और इस सदन के दूसर माननीय सदस्यों ने भी जो सुझाव सरकार के सामने पेश किए हैं, उन पर मंत्री महोदय को गौर करना चाहिए।

Some Hon. Members rose—

Mr. Chairman: Pandit Munishwar Datt Upadhyay. I shall call those who have been in the Select Committee later.

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़ पूर्व): सभापति जी, इस विधेयक का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सम्बन्ध में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। जितने अब तक इस सदन के सदस्य बोले हैं या कोई बाहर इसमें दिलचस्पी रखते हैं वह सब इस विधेयक को जो इस वक्त मंत्री जी लाए हैं, उसका स्वागत करते हैं। और बहुत लोग तो यह कहते हैं कि हम बहुत दिनों से इस विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस प्रकार का कोई विधेयक आता, क्योंकि उद्देश्य जिससे यह विभाग स्थापित किया गया था, यह मिनिस्ट्री बनी थी वह उद्देश्य दरअसल अब पूरा होने जा रहा है, अगर वह पूरा होता है तो, नहीं तो अभी तक यद्यपि हमारे मंत्री महोदय का कार्य बड़ा प्रशंसनीय रहा है तथापि इन लोगों के जीवन-यापन का कुछ प्रबन्ध करना था, कुछ इनको सहारा देना था, जीवन में परेशान लोग जो इतनी बड़ी तादाद में बाहर से आए हैं उनको कुछ सहायता दे कर उनके खाने-पीने व ठहरने का इंतजाम करना था, केवल इंतजाम था जो अबतक यह विभाग करता आया और जिस को बड़ी सहानुभूति के साथ, बड़ी कामयाबी के साथ और बड़ी खूबी के साथ हमारे मंत्री जी ने निभाया और जिसकी तारीफ सभी लोग करते हैं। लेकिन दरअसल उन्होंने जो काम अभी उठाया है, यह वही काम है जिसके लिए यह विभाग स्थापित हुआ था। वह भी बहुत दिनों से चिन्तित थे कि जल्दी से जल्दी इस काम को उठाएं लेकिन इस काम के उठाने में जैसी अड़चनें हुआ करती हैं और जब उनको व्यवहार में लाना था जब इस विषय का सम्बन्ध एक ऐसे दश से था जिस दश के हालत को जिसके व्यवहार को हम अच्छी तरह से जानते हैं और जिससे हम परिचित हैं, ऐसी दश में यह सम्भव नहीं था कि इसके पहले आ सकता। अलावा उस उद्देश्य के व्यवहार में और भी बहुत सी अड़चनें और दिक्कतें इसमें हो सकती थीं। मेरी समझ में बहुत सी ऐसी दिक्कतें भी हैं जिनसे हम सब लोग परिचित नहीं होते।

अभी हमारे श्री डी० सी० शर्मा ने फरमाया कि इसमें बड़ी दर की गई, यह तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि उनकी भावना बड़ी ही सुन्दर भावना है और सही है। सब की भावना ऐसी ही है, परन्तु वे लोग जो इसको बरत रहे हैं वही समझते हैं कि उनको क्या क्या दिक्कतें पड़ती हैं। शिकायत हमारी जो है सबसे बड़ी शिकायत यह है कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, पर्याप्त जायदाद नहीं है जिस जायदाद के जरिए से हम अपने यहां के शरणार्थियों को काफी मुआवजा दे करके उनको जीवन में स्थापित करें और उनका जीवन सुखमय बना सकें। सबसे बड़ी शिकायत हमारी यह है और मेरा यह अनुमान है कि इसी शिकायत को दूर करने में इसी शिकायत को मिटाने की चिन्ता में इतने दिन बीत गए और मंत्री महोदय यह विधेयक आपके सामने नहीं ला सके। आखिरी तौर पर हमारे यहां के शरणार्थियों को जितना आप दे सकते हैं जो आपकी शक्ति में है वह दे करके इस काम को पूरा करें। मैं मिसाल के लिए एक बात आपको बतलाता हूँ जिससे आपको पता चल सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनसे हम परीरिक्त नहीं हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जो लोग वहां लैण्ड इवैक्वी प्रापर्टी छोड़ कर गए हैं और उन छोड़ी हुई जायदादों पर बहुत से दूसरे लोग काबिज हो गए हैं, कब्जा दूसरों का हो गया है। कानून वहां तरह तरह के बने। लैण्ड रिफार्म एक्ट जो बना उसमें बड़े बड़े परिवर्तन हुए और ऐसा भी परिवर्तन हुआ कि जो इतने दिन कब्जा उठ जाने की वजह से एक दूसरे शस्स के काबिज होने की वजह से उसी को सारे के सारे हक प्राप्त हो गए। उसी की वह जायदाद हो गई। यह इवैक्वी प्रापर्टी का जो कम्पेंसेशन प्ल आप बनाने चले हैं इसमें वह जायदाद कभी भी शामिल नहीं हो सकती थी उन कानूनों के मुताबिक जो कानून हमारे उत्तर प्रदेश में बने और कोई इस उद्देश्य से नहीं कि हमारी इवैक्वी प्रापर्टी को हानि हो, बल्कि एक आम कानून जो कि बन रहा था उसके मातहत यह जायदाद जो है यह किसी तरह से उस कम्पेंसेशन प्ल में शामिल नहीं

हो सकती। मुझे मालूम है कि जितने प्रयास मंत्री महोदय ने किए और वहां की ५० पी० सरकार से मिल कर उन्होंने यह निश्चय किया कि जितनी वहां पर इवैक्वी प्रापर्टी है वह उन कानूनों से और उन पाबन्दियों से बरी कर दी जाए, जिन पाबन्दियों के कारण वह हमारे कम्पेंसेशन प्ल में आ ही नहीं सकती है और यह हमारी ५० पी० सरकार की उदारता है कि उन्होंने भी इसको मान करके एक आर्डिनंस जारी करना चाहा था, अब से पहले जब असेम्बली नहीं बैठ रही थी। लेकिन असेम्बली चूक बैठने को थी लिहाजा कोई आर्डिनंस न जारी करके उन्होंने लैण्ड रिफार्म बिल पेश किया है। उसमें उन्होंने यह कानून भी पास किया है जिसके लिए एक रोज आधी रात तक असेम्बली बैठे और फिर शनिवार को भी बैठे और मेरी समझ में कल भी बैठे और तब जाकर कल रात को उन्होंने यह कानून पास किया है। इस तरह की दिक्कतें होती हैं। बिहार की बात अगर आपको थोड़ी मालूम हो तो वहां भी ऐसी जायदादें हैं जिन पर बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया है, कोई ऐसी सूत हम निकालें जिससे वे हमारे कम्पेंसेशन प्ल में आ सकें। तो सबसे बड़ी शिकायत हमारी यह है कि कम्पेंसेशन प्ल में काफी जायदाद नहीं है और कोई ऐसी सूत निकाली जाए जिससे वे जायदादें उसके अन्दर आ सकें। जल्दी जल्दी में करके बांट देने से, ऐसी बातें कर गुजरने से तो हमारा काम चलता नहीं है। दरअसल हमको उस जायदाद को जो जायदाद बांटना है उसको बढ़ाना है। बहुत सी ऐसी दिक्कतें मालूम हो रही हैं जिससे सम्भव है कि जितना हमारा कम्पेंसेशन प्ल है उसमें कुछ भी सहारा हम शरणार्थियों को दे सकें या उनकी जो मांगें हैं उन मांगों की तीन चौथाई मांगों को भी पूरा कर सकें, यह बड़ा कठिन मालूम हो रहा है। हमारी स्थिति शुरू से ही जैसा हमारे माननीय सदस्यों ने अभी आपके सामने बताया कि यह तो हमारी शुरू ही से हालत रही है। जायदाद जो वहां लोग छोड़ कर गए वह उसके मुकाबले में जो हमारे शरणार्थी लोग वहां पर छोड़ कर आए पाकिस्तान में, वह बहुत कम है। जब यह

[पीडित मनीश्वर दत्त उपाध्याय]

हालत हमारी हैं तो दरअसल हम उनको पूर तौर पर मुआवजा द सकें, पूर तौर पर उनको वैसे ही स्थापित कर सकें जैसे वहां वह रहते थे, यह तो दरअसल कठिन है, लेकिन प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि हम जितना उनको सुखी बना सकते हैं उतना सुखी बनाने का प्रयास करें। किसी इंसान को सुखी बनाने में सबसे बड़ी बात होती है ह्यूमन एस्पेक्ट की और मेरी समझ में इस बारे में कोई सन्देह नहीं हो सकता है कि हमारे मंत्री महोदय ने जिस सहानुभूति के साथ उनके साथ व्यवहार किया है और जिस तरह उनके साथ धूल-मिल कर उनकी तकलीफों और दुखों को जान कर उनके लिए दवा करने की कोशिश की है, वह किसी से छिपा नहीं है और किसी को उस बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मेरी समझ में इस विषय में कोई और दूसरी राय न होगी और अगर होगी तो पता नहीं किसी कारणवश ही होगी। ताँ एसी स्थिति में जब कि हम देख रहे हैं कि हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चलें हैं जिस उद्देश्य से कि यह विभाग स्थापित हुआ था तो स्पष्ट है कि चारों तरफ एक बड़ी दिलचस्पी है। हमारे शरणार्थियों में शरणार्थियों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, उन में, या जो बाहर के लोग इस प्रश्न में जरा भी दिलचस्पी रखते हैं, उन सभी में इसके लिए बड़ी दिलचस्पी है। लेकिन अगर कोई सहारा और कोई मदद जो हमें पाकिस्तान से मिल सकती थी, हम उसकी उम्मीद रखते हैं तो, जैसा मेरे और साथियों ने कहा, मेरा भी खयाल है कि वह बहुत कठिन है। यही सब सोच कर, एक दम उतारू हो कर हमारे मंत्री महोदय ने यह विधेयक आप के सामने पेश किया है कि जो कुछ हमारे पास है, जो हम द सकते हैं, जिस तरह से हम आपके जीवन को स्थापित कर सकते हैं, वह हम आपको देंगे। जिस उद्देश्य से कि यह विभाग स्थापित हुआ था अर्थात् उन लोगों की सहायता करने के लिए, जो बहुत गरीब हैं, जो बेबस हैं, जो साधार हैं। उनके सामने जो लोग ऐसे हैं जिन के लिए थोड़ा बहुत सहारा है, उनको प्रपॉर्नटली

कम देने की स्कीम आपके सामने पेश की गई है। इस योजना में, इस में सन्देह नहीं कि जो शंका हमारी है, जो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अधिक द नहीं पावेंगे, वह बहुत हद तक सही है, जब तक कि हमारी सरकार काफी सहायता न करे। मैं नहीं जानता कि हमारी सरकार भी अधिक सहायता करने की स्थिति में होगी या नहीं, क्योंकि काफी रूपया हो जाता है जिसको उसे रिवेन्यू से ले कर देना है। हो सकता है कि वह ज्यादा सहायता कर सके, मैं जानता नहीं हूँ, यदि हमारे मंत्री महोदय सरकार से लेने में कामयाब हों, तो जितना ही ज्यादा रूपया वह द सकेंगे, वह उन बेबस लोगों के सहारे की चीज होगी। यदि जो उनके जरिए हैं उन जरूरतों से वह नहीं ले सकते हैं तो कोई वृद्ध इस धन राशि में हो सकेगी, जिसके सहारे पर वह इन शरणार्थियों की जिन्दगी को बेहतर बनाने की योजना बनाए हुए है, इसकी आशा नहीं है।

मैं आप से एक बात और निवेदन करूंगा। पहले तो पाकिस्तान का भरोसा था कि उससे कोई समझौता हो जाएगा, कोई बात तय हो जाएगी, लेकिन उस समझौते के होने की नाँबत न होने की वजह से एक इंटीरिम कम्पेन्सेशन योजना लानी पड़ी, लेकिन जो इंटीरिम कम्पेन्सेशन की योजना लाई गई उस पर पाकिस्तान की तरफ से एतराज हुआ कि अगर हम उसको कर दें हैं तो उनकी और हमारी मुआवजा देने की जो आखिरी योजना बनेगी उसमें बड़ी अड़चन पड़ेंगी। इस तरह के एतराजात किए गए बावजूद इसके कि, अगर आपने देखा होगा तो यह बात अखबारों में छपी है, और तो किसी बरिए से इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है, वह अपने यहां खुद इसी तरह की योजना जैसी कि क्वासी परमिनेट एलाटमेंट की योजना हमारी है अपने यहां चला रहे हैं। लेकिन यहां के लिए उनको एतराज हो रहा है कि क्यों चलाते हो। यह भी कहते हैं कि मुस्तीफल योजना तो हम को और आपको बनानी है। मैं जानता नहीं हूँ

इसमें कहाँ तक सत्य हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में यह सब बातें सोचना, बहस करना, इस पर विचार करना और इसकी शिकायत करना, एक बंकार सी बात मालूम होती है। जिस देश ने कि अपने और हमारे दम्यानि समझौता होने के बाद भी समझौते को तोड़ कर एक आर्डिनंस जारी किया जिस आर्डिनंस से जितनी जायदाद की मिल्कियत वहाँ पर थी उस मिल्कियत को हटाने की कोशिश की, और साथ ही एंसी स्थिति वहाँ पैदा कर दी कि वहाँ पर जो लोग रह रहे थे वे रह न सकें और वहाँ से जा कर अपनी जायदाद का इन्तजाम भी न कर सकें। वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति पैदा कर दी जिससे सार के सार लोगों को हिन्दुस्तान चल आना पड़ा, वह उस जायदाद के नजदीक जाने के भी काबिल नहीं रह सके। जो देश एंसी तरीके से कर सकता है, उसके बारे में कोई शिकायत की बात करना एक बंकार सी बात है। मेरी समझ में इस समय जो मंत्री महोदय ने सोचा है कि उनका भरोसा करना बंकार है, उनका जिक्र करना बंकार है। उनकी शिकायत की तरफ निगाह डालना बंकार है, हमारे देश में जो कुछ है उस को ले कर शरणार्थियों को सुखी बनाना चाहिए, इस योजना का सभी स्वागत करेंगे।

अभी हमें श्री डी० सी० शर्मा ने, जो सबसे पहले बोले थे, बतलाया कि यह एक ड्रामा है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसमें एंसी एंसी घटनाएँ भी होती रही हैं जिससे कि सम्भव है कि एक ड्रामा सा लगा हो, लेकिन जो कुछ उन्होंने इस सम्बन्ध में कहा वह यह था कि अब यह समझा जाए कि हम ने रिहैबिलिटेशन का काम प्रारम्भ किया है। मुझे इस पर आपत्ति है। हमारी सरकार इसका प्रयास करती रही है और उसका यह उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके, हम इस स्थिति को मिटा दें जिसमें कि वह शरणार्थी कहलाते हैं और दूसरे जो लोग हैं वह गैर-शरणार्थी कहलाते रहें और इन दोनों में भिन्नता पाई जाए। उद्देश्य यह है कि हमारी इन शरणार्थियों की संज्ञा न रह जाए, हम में और उन में अब कोई फर्क की बात न रह जाए, बल्कि स्थिति यह हो जाए कि सार के सार जो हमारे देश में रहने वाले हैं उनकी

भी स्थिति वही हो और दूसरे लोग भी उसी प्रकार सुखी हो सकें जैसे कि हम हैं। जहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं, वहाँ पर जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। यह कहना कि अब हम इस कार्य को प्रारम्भ कर रहे हैं और फिर इसकी जरूरत पड़े कि हम शरणार्थियों को सहायता दें, मुझे इस बात पर आपत्ति है, और जहाँ तक मैंने मंत्री महोदय के उद्देश्य को समझा है, उनके सभी कागजातों को देखा है, मैं समझता हूँ कि उनका भी यही उद्देश्य है और यह सही उद्देश्य है कि इस प्रकार की भिन्नता को कि वह शरणार्थी हैं और हम इस देश के रहने वाले हैं, मिटाया जाना चाहिए। हम सब बराबर हैं, हम इस देश के रहने वाले हैं और साथ रह कर हमको इस देश के विकास में हिस्सा लेना है, इस तरह की भावना उनमें आनी चाहिए। उसके आने के लिए उन्होंने यह समझा है कि जब तक वह किसी जायदाद के मालिक न हो जाएँ, जब तक उनमें कोई मिल्कियत नहीं आती है, तब तक एंसी भावना उनमें नहीं आवेगी। उन्होंने क्वासी पर्मेनन्ट एलाटमेंट की स्कीम भी इसी लिए बनाई थी जिसमें थोड़ी बहुत जायदाद उनको दे दी जाये। मालूम नहीं कब से वह निर्णय होगा। लेकिन यह स्वाभाविक बात है, कटुदरती बात है। इसको समझते हुए कि वे लोग उन जायदादों के मालिक नहीं हैं उन को ठीक कराने में या मरम्मत कराने में अभी मन नहीं लगा सकता है, यह निर्णय किया गया है। बावजूद इसके कि हमारे पास काफी पर्याप्त धन राशि नहीं है, लेकिन जो कुछ है उस को ले कर हमें दे देना है, तभी जो जायदाद बिगड़ती जा रही है वह इस्तमाल हो सकेगी, नहीं तो दिन ब दिन उसकी कीमत गिरती जाएगी और वह जायदाद खराब हो जाएगी और कोई उनके रिपेअर्स और मरम्मत का जिम्मेदार भी नहीं रह जाएगा।

जैसा मैं ने कहा कि अगर हम इन सब दिक्कतों को समझते चलें तो कोई नहीं कहेगा कि देर हो गई। आप समझ सकते हैं कि सात वर्ष पहले का जमाना नहीं है। इस सात वर्ष में कोई ६० लाख लोग पश्चिमी पाकिस्तान

[पीठत मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

सं यहां आए हमने उनका प्रबन्ध किया और इस खूबी से किया कि कोई खास शिकायत की बात कोई नहीं कर सकता है। वैसे तो कहने वाले लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना वजह के भी शिकायत किया करते हैं।

इतना सब होने के बाद जो विधेयक हमारे सामने आया है, अगर वह ऐसा है कि कुछ और धन ले कर, लोगों की और सरकार की मदद ले कर, हम कुछ सहायता कर सकें, तो यह काम हमें जरूर करना चाहिए। जहां पर हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं वहां पर हमारी बेबसी है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द चुब (जिला फर्रुखाबाद उत्तर): श्रीमान सभापति जी, अभी हमारे मित्र पीठत मुनीश्वर दत्त उपाध्याय ने जो कुछ कहा है उससे मैं सहमत हूं। शरणार्थियों के रिहैबिलिटेशन का कार्य अगर हो सकता था तो इसी तरह से हो सकता था कि जो उन लोगों की जायदाद पाकिस्तान में रह गई थी वह उनको मिल जाती और इसके लिए सरकार ने बहुत कोशिश की। जो दर लगी वह इस बात में लगी कि जो जायदाद उन लोगों की पाकिस्तान में रह गई थी वह उनको नहीं मिल सकी। यहां हिन्दुस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन आफ इवैक्सी प्रापर्टी का कानून बनाया गया। उसी प्रकार का कानून पाकिस्तान में भी बनाया गया। यानी दोनों गवर्नमेंटों की यह मंशा मालूम होती थी कि जो लोग उनके यहां से चले गए हैं, भाग गए हैं, उन लोगों की जायदादों का इन्तजाम दोनों गवर्नमेंटें करें। एसी सूरत में हिन्दुस्तान की गवर्नमेंट को, यहां की गवर्नमेंट को कोई शक करने की वजह नहीं थी कि जो जायदाद पाकिस्तान में रह गई है वह वहां से आए हुए शरणार्थी लोगों को नहीं मिलेगी या किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। और अब भी नहीं कहा जा सकता कि वह बातचीत खत्म हो गई है। लिहाजा यह कहना कि इस गवर्नमेंट ने

कोई इस मामले को तै करने में दूरी की या यह जो सात बरस गुजर गए यह गवर्नमेंट की किसी गलती की वजह से गुजर गए, यह एक नामुनासिब इल्जाम है। गवर्नमेंट ने जो रिपयू-जीज को मदद देने का या उनको रिहैबिलिटेट करने का प्रयत्न किया है वह प्रशंसनीय है। उनके लिए अरबों रुपया खर्च किया गया और आखिर में यह कहना कि नहीं साहब, कुछ नहीं हुआ, यह बात सही नहीं है। यह बात सही है कि जितना होना चाहिए था वह नहीं हो सका। सवाल यह है कि इस न हो सकने में गलती किसकी है? आया इसमें गवर्नमेंट की गलती थी कि उसने दूरी की या यह कोई दूसरी वजह थी जिससे कि वह उनको उस तरह रिहैबिलिटेट नहीं कर सकी जैसा कि करना चाहती थी। जैसा मेरे एक दोस्त ने कहा कि ऐसा करना पाकिस्तान की कार्रवाईयों की वजह से नामुमकिन हो गया।

3 P.M.

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन मुझे जरा सी एक आपत्त मालूम होती है जिसकी वजह से यह मालूम होता है कि शायद अब जो कार्रवाई इसमें होगी उसमें भी बहुत दर लगेगी। कम्पेन्सेशन प्ल जो बनाया गया है वह उस जायदाद से बनाया गया है कि जो यहां पर इवैक्सी प्रापर्टी या तो क्लर द दी गई है या क्लर दी जाने वाली है। उस प्रापर्टी को सरकार हासिल करेगी और उसको हासिल करके शायद और कुछ चीजें हैं उनको शामिल करके यह कम्पेन्सेशन प्ल बनाया जाएगा। लेकिन उसमें भी एक मुआवजे की शर्त रखी गई है और उस मुआवजे की शर्त के लिए यह लिखा गया है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की राय से वह मसला तै किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की राय के ऊपर यह मामला रखा गया तो मुमकिन है कि वह सात बरस में भी तै न होने पावे। इसलिए जरूरत इस बात की मालूम होती है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखा जरूर जाय क्योंकि अभी भी बातचीत जारी है और बिल्कुल मामला आखिरी तौर

पर खत्म नहीं हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें एक शर्त इस किस्म की लगा देनी चाहिए कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको जो लिखा जाए उसका जवाब दो या तीन महीने के अन्दर न दे तो यह समझ लिया जाए कि उन्होंने मंजूर कर लिया है। क्योंकि अगर उनकी मंजूरी तक इन्तजार किया जाएगा तो शायद वह मंजूरी किसी वक्त न आवेगी और न वह मामला तौ हो सकेगा। इसमें सात बरस तो गुजर गए और मुझफिन है कि और दो-चार बरस गुजर जाएं। इसीलिए जैसा मैंने अर्ज किया जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को लिखने के बाद महीने, दो महीने या तीन महीने की मियाद मुकर्रर कर दी जाए और अगर उस जमाने में उनकी मंजूरी नहीं आती है तो यह समझ लिया जाए कि जो शर्तें उनके पास भंजी गई हैं या जो मुआवजा हमने तजवीज किया है वह उसको मंजूर करते हैं।

इसके अलावा मुझको इसमें दो तीन बातें और नजर आती हैं। एक तो यह चीज नजर आती है कि जो प्रापर्टी कम्पेन्सेशन पूल के लिए एकवायर की जाएगी उसके ऊपर जो एन-कम्बर्सेज वर्ग रहें वह नहीं माने जाएंगे। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन जायदादों में से बहुत सी ऐसी हों जिनके ऊपर हिन्दुस्तान में रहने वालों का भार हो या चार्ज हो या उनके पास वे रहने हों। चीक सन १९४७ से १९४४ तक ६ बरस हुए हैं इसलिए मार्टगैज एन्फोर्स हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इस कम्पेन्सेशन पूल में कोई ऐसी जायदाद रखे जिस पर कि किसी हिन्दुस्तान के रहने वालों का चार्ज हो तो उसके लिए ऐसा न कर दे कि वह फ्री फ्राम एनकम्बर्सेज या चार्ज समझी जाएगी। हो सकता है कि वह चार्ज इस किस्म का हो कि जो हमारे मुल्क का हो और इसीलिए कोई वजह नहीं है कि उनको फ्री फ्राम एन-कम्बर्सेज समझा जाए।

इसके अलावा एक आध बातें और नजर आती हैं। मालूम होता है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस बारे में काफी गौर किया है और गौर करने के बाद बहुत सी बातें सही कर दी हैं। पहले इसमें

क्लेम्स के क्लासिफिकेशन करने का जिक्र था कि कौन पहले लिया जाएगा और कौन बाद को लिया जाएगा। लेकिन सिलेक्ट कमेटी ने इस नुक्स को तो रफा कर दिया है।

यही दो चार बातें मैं कहना चाहता था।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर):

धर्मण शासिते राष्ट्रं न च बाधा प्रवर्तते ।

नाश्रयथा व्याधश्चैव रामे राज्यं प्रशासति ॥

माननीय सभापति महोदय, आज एखा प्रतीत हो रहा है कि शरणार्थियों के भाग्य का निबटारा होने वाला है। मैं समझता हूँ कि अगर सचमुच आज भी निबटारा हो जाता तो कुछ तो शरणार्थियों के मन में शान्ति होती कि हमारे भाग्य में कुछ होने वाला है। किन्तु पहली बात यह दीख्ये। अभी इवैक्वी प्रापर्टी के सम्बन्ध में एक बिल और आने वाला है जिसका आज पता नहीं है कि कल आवेगा, परसों आवेगा या कुछ दिन बाद लाया जायेगा। मेरे विश्वास से मंत्री महोदय ने गाड़ी को घाई के आगे रखने वाली बात की है। जब तक इवैक्वी प्रापर्टी का निश्चय नहीं हो जाता, जबतक कम्पेन्सेशन पूल कर निश्चय नहीं हो जाता, तबतक क्या मिलने वाला है, उत्पीड़ित को इसका निश्चय पता नहीं चल सकता है। माननीय सभापति महोदय, उत्पीड़ित व्यक्तियों को जो कुछ हम देना चाहते हैं उस सम्बन्ध में जो यह विधेयक उपस्थित हुआ है उसके लिए पहले तो मैं संयुक्त समिति के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं मंत्री महोदय को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने संयुक्त समिति में सहयोग देकर इस विधेयक को आगे से बहुत अच्छा बना दिया है। मैं विशेषकर धन्यवाद लोक सभा के सदस्यों को दूंगा, विशेषकर श्री भार्गव जी को जिन्होंने इस में बहुत सहानुभूति रखकर काम किया है।

जो प्रारम्भिक विवरण दिया गया है उसमें १२ क्लास के बारे में लिखा है :

"All were unanimous in their demand that the compensation

[श्री नन्द लाल शर्मा]

pool be considerably enhanced. All claimed 100 per cent. compensation and suggested that the same be secured from the Pakistan Government or evacuee property or by contribution from Government."

पाकिस्तान सरकार से हमको क्या मिलने वाला है इस विषय में हमारा मंत्री महोदय कई बार प्रश्न के उत्तर में अपने भाषण में पहले बतला चुके हैं।

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः।

बालवैधव्यदग्धानां कुलस्त्रीणां कृपा इव॥

दरिद्र का मनोरथ बहुत कुछ उठता है लेकिन वह वही का वही ठंडा होकर रह जाता है। उसको कहीं सफलता होने वाली नहीं है। अगर हमारा किसी और गवर्नमेंट से सम्बन्ध होता तो हमारी समझ में आ सकता था लेकिन इस गवर्नमेंट से अगर आप गवर्नमेंट लेबल पर बात करें और यह चाहें कि कुछ मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है।

इवैकवी प्रापटी पर आपकी कृपा दृष्टि पहले से ही है। जो इवैकवी प्रापटी २०० करोड़ के लगभग आंकी जाती थी वह आज ५० या ५५ करोड़ की रह गई है। आज तक उसकी इतनी कीमत गिर गयी है और जब आप कृपा करके उस प्रापटी को एबॉगेट करने का कानून बना देंगे तो आगे के लिए भी आशा पर ताला लग जायेगा।

भीषण्य में यह आशा कभी नहीं कर सकते कि अब भारतवर्ष में कोई इवैकवी प्रापटी होने वाली है। मेरा यह अर्थ नहीं है कि आप भारत के नागरिकों को धोखा दे कर उनकी प्रापटी को जबर्दस्ती छीन लें, लेकिन यह भी हम जानते हैं और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि एक व्यक्ति घर का यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब सम्बन्धियों को उसने

पाकिस्तान में भेज दिया है, पाकिस्तान के सभी राइड्स को वह इजाजत करता है और यहाँ से अपने घर वालों के पास मुनासिब खर्चा भेजने का सब प्रकार से इंतजाम है, जब कि मैं उन व्यक्तियों को जानता हूँ जो अभी दाँ, तीन महीने के अन्दर पाकिस्तान से आए, या उधर पठानिस्तान से अभी आए हैं। उनकी स्त्रियों के शरीर में आभूषण नहीं रहे, केवल उनके पास ५० पाकिस्तानी रुपयों के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा, बाकी सब प्रापटी और चीजें उनके पास से छीन ली गयीं, लेकिन आपके यहाँ हालत यह है कि एक मुसलमान अपना आखिरी टीन का डिब्बा भी बेच कर पाकिस्तान को जा सकता है। यह आपकी दशा है और यह उनकी दशा है।

ब्रजान्ति ते मूढीधयः पराभवं,
भवान्ति मायाविषु ये न मायिनः।

जो ठग के साथ ठग बनना नहीं जानता और जो डंडा मारने वाले के सामने केवल हाथ ही जोड़ना जानता है वह मूर्ख हमेशा मार ही खाता चला जाता है।

सभापति महोदय, मैं यह अनुभव करता हूँ कि संयुक्त प्रवर समिति ने जहाँ बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही हैं वहाँ यह भी कहा कि विधवाओं को जो कुछ भी भत्ता मिलने वाला है : वह उस कम्पेंसेशन प्ल में से न लिया जाये। सार्वजनिक संस्थाओं को भी जो पाकिस्तान में थीं और अब वहाँ सब कुछ छोड़ कर यहाँ आ गई हैं उनको सहायता कम्पेंसेशन प्ल में से न दी जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि गवर्नमेंट इस विषय में कंटीर्युशन करें। यह सारी की सारी सिफारिशें मात्र रक्खी गयी हैं उनका इस बिल के अन्दर कहीं स्थान नहीं है। अर्थात् यदि यह बिल स्वीकार होकर एक्ट बन जाता है तो उस एक्ट में शरणार्थियों को कहीं भी यह आश्वासन नहीं है कि तुम्हारी

*Expunged as ordered by the Chair

४५० करोड़ अथवा ५५० करोड़ आंकी जाने वाली सम्पत्ति में से तुम को सिवाय ९५४ करोड़ की सम्पत्ति के और कुछ मिल सकेगा। ऐसी परिस्थिति में क्षमा करेंगे सयुक्त प्रवर सीमित के सदस्यगणा अगर मैं कहूँ कि उनकी सिफारिशें केवल सिफारिशें मात्र ही बन कर रह जायेंगी, उनका बनने वाला कुछ नहीं है। जब तक हमारे मंत्री महोदय उस सिफारिश को स्वीकार करने का उद्घोष न करें, मैं जानता हूँ उनका हृदय कोमल है, मैं किसी प्रकार से उनके प्रति निर्दयता का आरोप लगाने को तैयार नहीं हूँ, मैं यह भी जानता हूँ कि जिस ढंग से उन्होंने काम किया है, अगर वह न होता, उनके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो वह इतना अच्छा काम नहीं कर सकता था। लेकिन यह भी मैं जानता हूँ कि उनके डिपार्टमेंट में प्रपंच भी कितने हो रहे हैं, स्वयं उन्होंने इस को स्वीकार किया है। करप्शन आज भी इतना भयंकर है कि जो भी चाहे वहाँ जाकर आपके रिहैबिलिटेशन विभाग के दवताओं का पूजन कर सकता है और उसके फल स्वरूप उसको सब प्रकार की सुविधा आज भी मिल सकती है। लेकिन जो कोई उन लोगों का पूजन नहीं कर सकता, उधर कोई आँख उठा कर भी नहीं देखता। मैं इस सम्बन्ध में पहले भी प्रश्न कर चुका हूँ और मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिला चुका हूँ और उनके दर्शन भी इस विषय में किये हैं। उन्होंने कहा कि वह इस सम्बन्ध में जानकारी रखते हैं . . .

श्री ए० पी० जैन : लेकिन आपने नाम नहीं बताया कि किस ने किस को दिया, आप डर गये।

श्री नंद लाल शर्मा : मैं ने मंत्री महोदय को बतलाया कि नाम तो जितने कई मैं बता सकता हूँ लेकिन उससे क्या बनेगा। आप एक कमेटी इन्वैस्टिगेशन के वास्तो

मुकर्रर करें, और उस कमेटी के सामने मैं उन व्यक्तियों को आपके सामने लाऊंगा, यह भी मैं ने कहा था। लेकिन यह कि मैं आज आपको नाम बता दूँ और वह किसी अफसर की फाइल में चला जाये, यह भी हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी नाक के नीचे बैठे हो और जिसने दस, दस या पांच, पांच मकान ले रखे हैं और उनको अपने सम्बन्धियों में प्रसाद की भाँति बाँट रखे हैं, आप जान कर भी कुछ नहीं कर सकते। मैं इनको बताकर किसी को मरवाने का प्रयत्न करूँ

सरदार ए० एल० सहगल : लेकिन कोई तो जरूर मरेगा।

श्री नंद लाल शर्मा : मैं आज भी ऐसे लोगों को बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप उसके लिये पहले जैसे मैं ने सुभाव दिया एक इंडिपेंडेंट कमेटी इंस्टीट्यूट करें, उन सब को दंड देने की तैयारी करें। यही बात मैं ने तब भी कही थी और आज भी कहता हूँ।

इसके अलावा क्लेम्स के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है और जैसा कि मैं ने प्रश्नों के द्वारा पहले भी निवेदन किया कि कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने क्लेम्स दाखिल नहीं किये हैं। आपकी रूरल प्रापर्टी के सम्बन्ध में जो धांधली मची थी। जिन लोगों ने अपने क्लेम्स आरम्भ में दिये वह तीन-तीन और चार-चार मर्तबा क्लेम देकर भक गये, क्योंकि छठे महीने के बाद एक फार्म फिर उनके पास आ जाता है और उनसे कहा जाता है कि पहला भर हुआ फार्म बेकार होगया, इसे भर कर भंजो और उन बेचार अनपढ़ लोगों के लिये तो मर्ने पड़े जाती हैं, ऑथ कमिश्नर और पिटीशन राइटर से बेचार फिर भरवाते हैं और उसके लिये जो कुछ चाहते हैं वह बतौर फीस के उनसे चार्ज करते हैं। इस सम्बन्ध में जो आपने कह कि दस हजार के नीचे रूरल रजिडेंशल प्रापर्टी का क्लेम न चलाया जाये, तो बहुत

[श्री नन्द लाल शर्मा]

ने अपने क्लेम नहीं दिये। नतीजा यह हुआ कि कुछ लोगों ने रूरल पार्टी और भूमि के सम्बन्ध में जो उनके क्लेम थे वह भी नहीं दिये। इसके अलावा ऐसे लोग जो आपके समय की उस तिथि के निकल जाने के बाद पाकिस्तान से आये हैं उन लोगों के क्लेम भी नहीं आ सके हैं। आपने उन लोगों के सम्बन्ध में जिनके क्लेम बैरिफाई हो चुके हैं वह १९५४ तक अपने क्लेमों के सम्बन्ध में कम्पन्सेशन लेने के लिये तो दरखास्त कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था तो आपने इस कानून में कर दी है लेकिन नये क्लेमों के सम्बन्ध में आपने अभी तक कुछ नहीं कहा। मैं इस लिये निवेदन करता हूँ कि इस बार में भी आपको पुनः सोचना होगा। नार्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के रूरल एरियाज में आपने कुछ स्थानों को रूरल एरिया उद्घोषित कर दिया है, जैसे कोहाट जिले में हूंग और टरी आदि स्थान, जब कि थल आदि उनसे छोटी छोटी जगहों को आपने अरबन एरिया उद्घोषित किया और जहाँ फ्रंटियर कांस्ट्रक्शन का केन्द्र है, जहाँ पर पुलिस के ट्रेनिंग स्कूल हैं और जो वहाँ का सब-डीविजन है उसको आपने रूरल एरिया उद्घोषित करके वहाँ के लोगों को इस प्रकार हानि में रख दिया। उनके मन में इस कारण अशान्ति है और उनका निवेदन है कि आप उनका ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आपका यह जो ४५० करोड़ का क्लेम बन रहा है, वह किस ढंग से आप लोगों ने असेसमेंट करने का प्रयत्न किया। सब प्रकार से उनकी इस प्रापर्टी को कम बतलाने की चेष्टा की गयी जिससे कि अधिक प्रापर्टी न बने, लेकिन उसके मुकाबले में जब आप मुसलमानों द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति अथवा सरकार द्वारा निर्माण की गयी सम्पत्ति को नीलाम करने जाते हैं तो अधिक से अधिक कीमत पर उसको चढाने की आपकी इच्छा रहती है। अभी परसों या नरसों का जिक्र है सरकार

की तरफ से ऐसी सम्पत्ति की नीलामी का आयोजन लाजपतनगर में किया गया था और वहाँ हमने देखा कि पांच-पांच हजार की लागत के टर्नीमेंट्स चौदह-चौदह हजार में सरकार ने लोगों में नीलाम किये, इस पर जब वहाँ के शरणार्थी भाइयों ने प्रोटैस्ट किया तो तीन-तीन बार उन पर लाठी चार्ज किया और मैं बतला दूँ कि शरणार्थियों के मामले में राजनीति या दलबन्दी की कोई बात नहीं है और न मैं पब्लिक में लोगों को उकसाने ही जाया करता हूँ और हमने वहाँ लोगों से कहा भी था कि यदि यह आपका मूवमेंट किसी कम्युनिस्ट के द्वारा प्रेरित हो तो हम इसमें किसी भी प्रकार का भाग लेना नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ कि शरणार्थियों की समस्या किसी पॉलिटिकल ग्राउन्ड पर न छोड़ी जाये। शरणार्थी चाहे वे कांग्रेसी हों या किसी और विरोधी पार्टी के हों, वे सब के सब एक समान स्थिति में हैं और उनकी समस्या हल करने में किसी प्रकार का भेद पॉलिटिकल दृष्टिकोण से खड़ा करना उचित नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि आप उनको प्रलोभन देते हैं, जिस व्यक्ति का दो लाख का क्लेम पड़ा हुआ है आप उसको लालच देते हैं कि अगर तुम इस जायदाद को खरीद लो तो तुम को पचास हजार रुपये तक मिल सकते हैं, अन्यथा आठ हजार रुपये काँश में मिलेगा। उस परिस्थिति में वह पांच हजार की जायदाद को चौदह हजार की बोली देकर खरीद लेता है यह सोच कर कि घला इस बहाने सरकार से कुछ मिला तो, भागते भूत की लंगोटी ही सही। और इसका परिणाम यह होता है कि वह उस जायदाद को खरीद कर उन लोगों के अधिकार छीनता है जो उतना पैसा नहीं दे सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है। मैं इस लिये निवेदन करूँगा कि आप इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।

“दू मिनट्स मोर प्लीज”।

मैं कहीं बार पहले भी निवेदन कर चुका हूँ, मैं जानता नहीं हूँ कि आप के कान खुले हैं या बन्द हैं। मैं आप के हृदय की भावनाओं पर कोई आक्रमण नहीं करना चाहता, लेकिन डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के बारे में मैंने पहले भी कहा है कि उन को बहुत हीन पढ़ाई है। उन की पिछली सर्विस के काउन्ट होने का, उन की सर्विस के अनुसार स्थान पाने का कोई चान्स उन को नहीं दिया गया। इस के अतिरिक्त आप के पास हाउसिंग मिनिस्ट्री से पत्र आ चुका है कि उन लोगों को गवर्नमेंट ने जो क्वार्टर्स दे रखे थे वह केवल तत्काल डिस्प्लेस्ड गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स समझ कर दिये गये थे। उन को सरकार किसी वक्त उन से खाली करवा सकती है, जिस दिन उन की नौकरी खत्म हो जाये उस दिन उन के पास से वह मकान हटाये जा सकते हैं। उन लोगों को आप ने रिहैबिलिटेट करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, आप लोग केवल यह भावना मात्र रखते हैं कि वह रिहैबिलिटेट हो गये, लेकिन उन की दशा यह होगी कि जिस दिन गवर्नमेंट उन से क्वार्टर ले लेगी, वह बेंस के बेंस शरणाधीन हो जायेंगे। इस लिये आप इस सम्बन्ध में भी ध्यान रखें।

साथ में जब तक आप इस कम्पेंसेशन प्लान को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करते और आज आप यह समझ लें कि आप की स्वतंत्रता प्राप्ति और इन कुर्सियों पर बैठने और सरकार सम्भालने में जो ईंट नींव में भरी गई है वह शरणाधीन हैं। उन का बलिदान न होता तो आप को यह स्वतंत्रता न मिलती और आप को यह सौभाग्य न मिलता। आप को यह स्वतंत्रता मिली, चाहे वह मद्रास हो, चाहे वह बंगाल हो, चाहे यू० पी० हो या सी० पी० हो, उन की सारी की सारी नींव इन शरणाधीनों के सरों पर और उन के मरे हुए सम्बन्धियों के शरीरों पर खड़ी हुई है। इस लिये

आप इस ओर से आंखें न बन्द करें और उन की अधिक से अधिक सहायता करने का प्रयत्न करें। ऐसा न हो कि जो मुसीबत उन के ऊपर आई वह आप के ऊपर भी आवे और उस का फल आप को भी भुगतना पड़े।

मैं जानता नहीं हूँ कि जब तक यह सम्पूर्ण प्रयत्न न हो, जब तक कम्पेंसेशन का प्लान बढ़ाया नहीं है, तब तक किन शब्दों में इस विधेयक का स्वागत करूँ या विरोध करूँ।

यह शब्द कह कर मैं समाप्त करता हूँ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। उन लोगों ने जो घर लिये थे मिनिस्ट्री से, उन में वह स्वयम् रहते हैं या और किन्हीं लोगों को दे दिये हैं ?

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : यह मिनिस्टर साहब बतलायेंगे।

श्री नन्व लाल शर्मा : कहीं रिश्तेदार भी रहते थे संयुक्त परिवार की तरह पर।

सरदार हुक्म सिंह : आप तो डिप्टी मिनिस्टर साहब का काम करने लगे।

सरदार ए० एस० सहगल : यह जानना मेरा फर्ज है।

सरदार हुक्म सिंह : आप तो अभी से डिप्टी मिनिस्टर बनने लगे।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद पश्चिम) : सभापति जी, पश्चिमी पाकिस्तान या पूर्वी बंगाल से जो लोग आये हैं, जो लोग वहाँ से भाग आये हैं, उन के बारे में जब भी किसी विचारवान् पुरुष के हृदय में ध्यान आता है तो उस का हृदय भर आता है। उन की कीठनाईयाँ, उन की मुसीबतों, उन्होंने जो कुछ सहा उस को याद कर आज भी दुख होता है।

[श्री टंडन]

पाकिस्तान का जन्म ही घृणा और दूसरों को दुःख पहुंचाने की इच्छा के बीच हुआ था। वहां से किस प्रकार से लोग भगाये गये, यह अब इतिहास का विषय है। मैं जानता हूँ कि हमारा देश से जो लोग भाग गये उन को भी बहुत कष्ट दिया गया। सच बात तो यह है कि यह पाकिस्तान की पैदाइश ही मुसीबत देने वाली हुई। मैं तो आरम्भ से ही इस प्रकार देश के विभाजन के विरुद्ध था, परन्तु यह विभाजन हुआ। मैं तो आज भी समझता हूँ, और जो समझता हूँ उस को छिपाता भी नहीं हूँ, कि यह कुछ बुद्धिमानों की बात नहीं हुई थी। परन्तु जो कुछ भी हमारा नेताओं ने किया, उस का कुछ खैमेयाजा क्या केवल शरणार्थी लोगों को ही बर्दाश्त करना है? जो कुछ हुआ, जो भूल हुई, या ईश्वर की लीला में ठीक हुआ, जो कुछ भी हुआ वह इस लिये हुआ कि राजनीतिक कारणों से प्रेरित हो कर हम लोगों ने यह उचित समझा कि देश का विभाजन मान लें। यह भी उचित समझा गया कि फौजों का भी विभाजन हो जाये। मुसलमान फौज वहां पहुंच जाये और हिन्दू फौज यहां चली आवे, यह भी हम ने बुद्धिमानों बरती, जिस का परिणाम यह हुआ कि दोनों तरफ मारकाट हुई। कराइं, अखां, की सम्पत्ति हमारा भाई वहां छोड़ आये। मेरा निवेदन है कि इन बातों को भुला देना उचित नहीं है। आज जो बात हमारा सामने है वह रुपये पैसे की है। जो कष्ट उन लोगों ने सहे हैं उन का मूल्य पैसे में नहीं दिया जा सकता है। हमारा कृतज्ञ देश, जो भाई चले आये हैं, विस्थापित हुए हैं, उन को और उनकी मुसीबतों को याद रखेगा। परन्तु यह जो छोटी सी कथा आने, पाई की, रुपये-पैसे की छिड़ी है उस में सरकार की ओर से इतना छोटा और आँखा बिनयापन मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारा मंत्री जी हैं तो बिनया, हिसाब किताब में चतुर हैं, परन्तु हिसाबकिताब की चतुराई सदा इसी

में नहीं होती कि रुपये देने में काटकपट की जाये। हिसाब कम बनाना ही हिसाब किताब की चतुराई नहीं है। उदारता के साथ हिसाब निबाहना ऊंची बिनयाई है। आज कुछ उदारता की आवश्यकता है। गवर्नमेंट के पास शक्ति भी है। अरबां रुपया वह देश के कामों पर खर्च कर रही है। यह भी तो गहरा देश का काम है। जो लोग आये हुए हैं वे आज मुसीबतों से छूट गये हैं यह बात तो नहीं है, उन की बुरी दशा आज, इस समय भी, है। अपनी आंखों से मैं ने उन भाइयों की दशा को देखा है। देखा है कि ५०, ६० फीट लम्बे और लगभग २५ फीट चौड़े कमरों के भीतर ५०, ६० प्राणी रोज रह रहे हैं।

यह दशा उनकी है। किसी तरह से इन्हांने गुजारा किया। अब उनको जब मुआवजा देने का प्रश्न सामने है तो हम यह कहें कि बस जो यहां से भाग गये हैं उनकी जितनी सम्पत्ति है, और उसका अन्दाजा लगाया गया है कि वह एक साँ करोड़ के लगभग है, वह तुम्हें मिलेगी और गवर्नमेंट ने जो कुछ रुपया, ५० करोड़ के लगभग लगाया है वह मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा, यह मुझे उचित नहीं लगता।

पाकिस्तान की चर्चा करना ही व्यर्थ है। वहां से कुछ आने का नहीं है। वह तो तभी हो सकता है जब उनकी नाक दबाकर आप निकालें। नाक दबाकर तो निकाला जा सकता है, किन्तु आप नाक दबाने वाले नहीं हैं। यह आपकी प्रवृत्ति है।

श्री पी० एन० राजभाज (शालापुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां): ताकत नहीं है।

श्री टंडन : ताकत की बात नहीं है। वह आपकी कामलता है। आप पाकिस्तान की ओर बरताव करने में कामल रहे हैं। कामलता बहुत जगहों पर ठीक होती है, परन्तु बहुत

जगहों पर दुर्बलता का चिन्ह होती हैं। भीष्म पितामह का एक वाक्य राजनीतिज्ञों को याद रखना चाहिए। जब वह शरशय्या पर पड़े थे और राजा लोग भीड़ लगाकर उनके चारों ओर बैठे थे तब उन्होंने बहुत से उपदेश दिये जो महाभारत के शान्ति पर्व में वर्णित हैं। उन का एक वाक्य था कि जो शासन कर्ता अच्छे लोगों की रक्षा नहीं कर सकता और जो दुष्टों के साथ कड़ा बरताव नहीं कर सकता वे दोनों नर्कगामी होते हैं। यह जिस प्रकार से पाकिस्तान बना और जो काम उन्होंने किया उसको देखते हुए उनके प्रति इतनी कौमलता उचित नहीं है। इस कथन में मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि उनके साथ लड़ाई करो।

हमारे यहां से जो मुसलमान गये उन्होंने भी बड़ा कष्ट उठाया इसमें सन्देह नहीं। मेरा हृदय व्यथा से भर जाता है जब मैं उन कष्टों को सोचता हूँ जो कि उनको पंजाब में उठाने पड़े। परन्तु जो पाकिस्तान से भाग कर आज हमारे यहां आये हैं उनके लिये हमको कुछ करना चाहिए। हमको उनके साथ दया का बरताव करना चाहिए। जो यहां से चले गये हैं उनके प्रति पाकिस्तान का कर्तव्य है कि वह उनके साथ दया का बरताव करें। परन्तु इस समय तो हमारे सामने यह प्रश्न है कि जो भाग भाग कर यहां आये हैं उनकी हम रक्षा करें। आप कहते हैं कि हमने उनके लिए ५० करोड़ रुपये लगा दिये और अब आप कहते हैं कि बस अधिक नहीं। मैं पूछता हूँ कि क्या यह ५० करोड़ उनकी मुसीबतों का उनके कष्टों का मूल्य है। मुझे तो यह देखकर लज्जा होती है।

बरसाँ हुए आरम्भ मैं जब यह सवाल उठा था तब मैं ने नमूनापूर्वक एक सुझाव दिया था और मुझे आशा थी कि वह सुझाव विचार के बाद मंजूर कर लिया जायेगा। मैं ने निवेदन किया था कि हमारे देश में जो कुछ भी सम्पत्ति है उसका एक छोट

सा अंश ले लिया जाय। बहुत छोटों को हम छोड़ सकते थे, लेकिन अधिकांश सम्पत्ति का एक अंश ले लिया जाय यह मेरा सुझाव था। मैं चाहता था कि वह धन इन विस्थापितों में बाँट दिया जाय। अगर ऐसा किया जाता तो कोई अच्छी सूरत दिखायी पड़ती, परन्तु गवर्नमेंट ने वह नहीं किया। अब वह ५० करोड़ के ऊपर सौदा करना चाहती है। ५० या ५५ करोड़ क्या चीज है? अन्दाजा लगाया गया है कि ये विस्थापित वहां नगरों में पाँच अरब ५० करोड़ की सम्पत्ति छोड़ कर आये हैं। मैं ने उस समय कुछ अन्दाजा किया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह अन्दाजा सिर्फ शहरी जायदाद का है।

श्री टंडन : आपने कहा कि यह सिर्फ शहरी जायदाद का अन्दाजा है। मैं ने उस समय कुछ अनुमान कुल जायदाद का किया था। मेरा अनुमान था कि ये लोग जो जायदाद छोड़कर आये हैं वह २० अरब की है। आज अचल सम्पत्ति की बात है। जो चल सम्पत्ति थी, जो मनकूला जायदाद थी, वह भी सैकड़ों करोड़ों रुपये की थी। प्रवर समिति ने उसका मूल्य अचल सम्पत्ति से भी अधिक बताया है।

सरदार हुसैन सिंह : बीस अरब गवर्नमेंट का अपना अन्दाजा था।

श्री टंडन : उस समय हम लोग विचार के लिये जब बैठे थे तब हमने अनुमान किया था कि ये लोग करीब बीस अरब की जायदाद छोड़ आये हैं। जब आप मुआवजा देने बैठे हैं तो क्या आप इस सब को भुला देंगे। मेरा निवेदन है कि जिस कोष में से आप मुआवजा देना चाहते हैं, जिसको आप कम्पेंसेशन प्ल कइते हैं, यह बहुत ही कम है। इसमें अच्छी मात्रा में बढ़ाव होना चाहिए। कुछ भाइयों ने सुझाव दिया है कि यह ढाई सौ करोड़ कर दिया

[श्री टंडन]

जाये। इसमें क्या धरा हुआ है ? मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट चार सौ या पांच सौ करोड़ रुपये दे। मैं यह गम्भीरता से कहता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को गहरी दृष्टि से सोचना चाहिए। आज भी इसके लिए दर नहीं है। इसके लिये वह विशेष टैक्स लगा सकती है। उस टैक्स को वह किसी और काम में न लगावे और कहे कि केवल इसी काम में लगावेगी। मेरा हृदय कहता है कि हमारा देश उदारता के साथ उस टैक्स को दे देगा। इतना कमीनापन हमारा देश नहीं दिखायेगा कि जो पैसा हमारे विस्थापित भाइयों के लिए मांगा जाये उसको वह न दे और उसमें कमी करे। मेरा तो यह सुभाव है कि आज भी गवर्नमेंट गहरी दृष्टि से सोचे। जल्दबाजी न करे।

इसका यह मतलब नहीं कि उनको प्रतिफल देने में रोक करे। शाब्दिक यह कहा गया है कि हम तीन वर्ष में अदा करेंगे। यह बहुत लम्बा समय है। दर हो चुकी है। आप उनको देना शुरू करें। इस प्रकार दें कि छोटों को जहाँ तक जल्दी हो सके देकर खत्म कर दें। बड़ों को रोकें। परन्तु जो आमदनी का रास्ता है उनको बिस्कुल बन्द न कर दें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी अगर वह मई से प्राप्त फल कोष में देश से जाने वालों की सम्पत्ति (इक्विवैलेंट प्रापर्टी) का आना बन्द कर दें। मैं समझता हूँ कि यह उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो पंजाब से भागकर यहाँ आये हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि जो मुसलमान हमारे देश में रहते हैं उनको पीड़ा पहुँचायी जाये। तनिक भी नहीं। उनको कष्ट हो तो उनको सहायता दी जाये। मैं तो सदा इस बात का पक्षपाती रहा हूँ। परन्तु मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार से उन लोगों को संहाल दिया जाये जो इस इरादे में बैठे हैं कि अवसर मिलते ही अपनी जायदाद बँच बँच

कर पाकिस्तान भाग जायें। कुछ लोग आज भी वहाँ रुपये भेजते हैं। उनका कुटुम्ब वहाँ है और उन्होंने एक दो आदमी यहाँ छोड़ रखे हैं कि उनकी जायदाद देखते रहें। पाकिस्तान से तो हिन्दू भगाये गये। यहाँ हम लोगों ने पाकिस्तान का दिखावा रास्ता नहीं पकड़ा। हमने ऊँचे स्तर से काम किया और मुसलमानों की रक्षा की। यह सदा हमारे लिए गौरव की बात रहेगी। परन्तु इसका वह अर्थ नहीं कि जो इस इरादे में बैठे हुए हैं कि हम अपनी जायदाद बँच कर पाकिस्तान जायें उनको हम सहारा दें।

श्री पी० एन० राजभोज : जो अछूत लोग वहाँ से आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जाता।

श्री टंडन : वह तो दूसरा विषय है। मेरा निवेदन यह है कि आप इस बात पर विचार करें कि जल्दी से जो आपका प्रतिफल कोष है उसको बन्द कर दें यह बुद्धिमानी नहीं है। एक दूसरी बात जो अभी चली कि जो लोग मकानों में रह रहे हैं उनके मकानों को नीलाम किया जायेगा। उस पर भी मैं कुछ निवेदन करूँगा जो मकान किसी शरणार्थी को दिया गया है उस को नीलाम करके अधिक से अधिक रुपया लेना यह मेरा निवेदन है, अनुरोध होगा।

श्री दत्त ठाकुर दास भार्गव : मिनिस्ट्री यह नहीं चाहती कि जिनके मकान पांच या दस हजार के हैं उनको निकाला जाये।

श्री टंडन : मेरा कहना है कि जो लोग बसे हुए हैं, अथवा किन्हीं मकानों और दुकानों में रह रहे हैं उन्हीं रहने वालों को उस जगह का ठीक मूल्य का अन्दाजा लगा कर उस मूल्य पर देने का प्रयत्न सरकार की ओर से किया जाना चाहिये। सरकार की ओर से सौदेबाजी और बनियेपन की प्रवृत्ति दिखाना अवाञ्छनीय होगा।

अभी मेरे एक भाई यह कह रहे थे कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो वहाँ से यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन वह आने नहीं पाते मैं उनसे कहूँगा कि यह आज का विषय नहीं है। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के मुकाबले की कुछ बात कही, तो क्या जिस प्रकार से यहाँ पर मुसलमान और दूसरी दूसरी अल्पसंख्यक जातियाँ रक्खी जा रही हैं, उसकी कोई समानता हम पाकिस्तान देखने जाएंगे? समानता हमें पाकिस्तान से नहीं करनी है। पाकिस्तान तो दूसरे ही ढंग से बना है और दूसरे ही ढंग से सारी बातें सोचता है....

श्री नंभू लाल शर्मा : टंडन जी, मुझे ज़रूरत है, उनको प्रतिशोध की आवश्यकता होगी। अब जो यहाँ आये हैं उनको कहीं से दूँगे, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, उनके क्लेमस एंटरटेन नहीं हो रहे हैं।

श्री टंडन : ठीक है, जो बाद में आये हैं उनको प्रतिशोध की आवश्यकता होगी, इसीलिये उचित यह होगा कि उनके लिये मार्ग खुला रहे। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि वह खुला रहे और मर्ड से जो नयी सम्पत्ति आने की मियाद को समाप्त करने का विचार है उसको समाप्त न किया जाये। यहाँ से जो लोग भाग भाग कर जाने वाले हैं, उनकी सम्पत्ति से ऐसा मालूम होता है प्रीति फल कोष अभी कुछ वृद्धि करेगा। यह मामला ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि एक दो वर्ष में हम समाप्त कर दूँगे। मैंने तो पहले भी कहा था और आज भी मेरे हृदय में वह बात कायम है कि इस के लिये अब भी सरकार कोई विशेष टैक्स लगा सकती है टैक्स लगा कर हम इस समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं। गवर्नमेंट विस्थापितों के सहायताार्थ काम तो करती है लेकिन मुझे को ऐसा लगता है कि

कुछ जगहों पर सरकार ने अपनी आंखों में पट्टी भी बांध ली कि उनकी मुसीबतें दिखायी न पड़ें। हम लोग मुसीबतें देख सकते थे, लेकिन सरकारी आदीमियों ने मुसीबतें नहीं देखीं। यह नहीं होना चाहिए। हमें घुस घुस कर पता लगाना चाहिए कि इन सब लोगों को ठीक स्थान मिल गया कि नहीं और सब लोग ठीक से अपने कारोबार में लग गये हैं कि नहीं यह देखना हमारा कर्तव्य है।

एक बात प्रवर समिति की रिपोर्ट में है और इस विधेयक में भी है कि जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं उनको हम इस कम्पेन्सेशन प्लान, प्रीतिफल कोष में से कुछ नहीं दूँगे। मैं प्रवर समिति से इसमें सहमत नहीं हूँ। पंजाब में पाकिस्तान बनने से पूर्व बड़ी भारी भारी संस्थाएँ थीं जो वहाँ पर काम करती थीं। ऐसी संस्थाओं के करोड़ों रुपये छिन गये और वे संस्थाएँ यहाँ चली आयीं और अब आप उनके बारे में यह कहते हैं कि हम एक ठबल नहीं दूँगे.....

सरदार हुकूम सिंह : जनरल रैवन्यूज से दिया जायेगा।

श्री टंडन : जनरल रैवन्यूज कहने से क्या होता है? कहां से दिया जायेगा, उसके लिये कोई व्यवस्था भी है? यह भी एक अजीब बात है कि अगर मेरी कोई व्यक्तिगत जायदाद गयी है तो मुझे को तो कम्पेन्सेशन प्लान से रुपया मिल सकता है मगर एक संस्था जो करोड़ों रुपया छोड़ आई है उसको इस प्लान में से कुछ नहीं मिलेगा, उसके लिये संस्था वाले खुशामद करते फिरें कि उनको भी कुछ दिया जाये। सरकार ने यह जो भेद किया है वह मेरी समझ में नहीं आया, इसमें क्या तर्क या लाजिक है। यदि मैं एक संस्था लेकर यहाँ आया और उस संस्था के लाखों रुपये वहाँ

[श्री टंडन]

छिन गये, तो उसके लिये मुझे उस कम्पन्सेशन पूल में से एक डबल नहीं मिलेगा लेकिन जो मेरी निजी जायदाद पीछे छूट गयी है उसका पैसा इस पूल से मिलेगा। यह तर्क मेरी समझ में नहीं आता। मामूली तौर से होता यह है कि जो सार्वजनिक संस्थाएँ हैं उनकी पहले चिन्ता की जाती है। जो सार्वजनिक संस्थाएँ छोड़ कर आये हैं, चाहे वे सिक्ख हों, आर्य-समाजी हों या दूसरी संस्थाएँ हों उनकी चिन्ता हम न करें, यह मुझे न्यायोचित नहीं प्रतीत होता। अपनी रिपोर्ट में ऐसी संस्थाओं के लिए प्रवर समिति ने गवर्नमेंट से खाली यह सिफारिश कर दी कि गवर्नमेंट अपने पास से उनको दं। उसके लिये आपने कोई कोष अथवा जायदाद नहीं बतलायी कि उसमें से उनको सहायता दी जाये; आपने उनको केवल गवर्नमेंट के रहम पर छोड़ दिया कि तुम्हारा जिसको जी चाहे उसको दो। मैं यह मानता हूँ कि आपने तो इस भावना से कहा कि वह जो प्रतिफल कोष है वह न घटने पाये। स्पष्ट है कि वह काफी नहीं है। लेकिन आपको कहना तो यह चाहिए था, जैसा मैं कहता हूँ, कि सरकार को उस कोष को अधिक बढ़ाना चाहिये। मैं कहता हूँ कि इस कोष को आप खूब बढ़ाइये, इतना बढ़ाइए कि उन ट्रस्ट्स को भी आप दं सकें। दूढ़ कर उन संस्थाओं का पता लगाइये जिन्होंने नुकसान उठाया है और उनकी क्षति पूरी कीजिये। मैं सुन यह रहा हूँ कि सरकारी आदीमियाँ ने यह तय किया है कि केवल कुछ शिक्षणा का काम करने वाली संस्थाओं और सांस्कृतिक काम करने वाली संस्थाओं को मदद देंगे। मैं समझता हूँ इसमें भेद नीति होगी और यह नहीं किया जाना चाहिये। मेरा स्वयं एक बड़ी संस्था से सम्बन्ध है। मैं जानता हूँ कि क्या मुसीबत उस संस्था को हुई है। आज मैं यहां पर इसीलिये खड़ा नहीं हुआ हूँ कि उस संस्था के लिये सरकार से सहायता

की मांग करूं, परन्तु यह मैं जानता हूँ कि लाखों रुपया उस संस्था का, मेरा अनुमान है कोई बीस लाख रुपये का उस संस्था का, नुकसान हुआ होगा। अब एक डबल भी उसको इस पूल में से सहायता के रूप में न मिले, यह क्या ठीक है? वह संस्था सार्वजनिक क्षेत्र में काम करती है और वहां पर सार्वजनिक काम करती थी। उस की जो आमदनी थी वह चली गयी, हां, उसको थोड़ी भूमि मिली, लेकिन जो शहरी जायदाद थी उसका कुछ नहीं मिला। अब वह संस्था वाले दौड़ें इधर, उधर, खुशामद करें तो शायद कुछ और मिल जाये। ऐसी और संस्थाएँ होंगी जो इस तरह की कठिन परिस्थिति में रह रही होंगी। अब भला बतलाइये वे संस्थाएँ कहां और किस के पास दौड़ती फिर? वहाँ आप उनको लटकाये रहें, यह क्या उचित है? संस्थाओं का भी अधिकार होता है। अगर एक व्यक्ति के अधिकार हो सकते हैं तो संस्थाओं के भी अधिकार हैं और मैं उनके अधिकार मांगता हूँ। इसके लिये आवश्यकता यह है कि जैसा मैंने पहले भी बताया आप इस पूल को अच्छी तरह से बढ़ायें और अगर गवर्नमेंट उसको अपने रुपये से नहीं बढ़ा सकती तो इसके लिये अतिरिक्त टैक्स लगाइये और कोष को बढ़ाइये मेरा कहना है कि सरकार इस कोष को बढ़ाना अपना कर्तव्य समझे, जिस प्रकार वह सेना के ऊपर खर्च करना कर्तव्य समझती है, जिस प्रकार उद्योगों को बढ़ावा देना अपना कर्तव्य समझती है, जिस प्रकार बेकारी को दूर करना अपना कर्तव्य समझती है, उसी प्रकार विस्थापितों को सहारा देना और उनकी कठिनाइयों को कम करना उसका कर्तव्य है।

Shri M. L. Agrawal (Pilibhit Distt. cum Bareilly Distt.—East): The importance and significance of this Bill cannot be over-emphasized. It in a way marks the culmination of the

seven years' stewardship of the Ministry of Rehabilitation over the interests of the evacuee property and of the displaced persons. The Bill, as it has emerged from the deliberations of the Joint Select Committee, has come out considerably improved. The improvements relate both to procedural and substantive matters.

Among some of the improvements made I would refer to the recommendation that instead of three hundred rupees which was originally provided, now a loan up to five hundred rupees would be remitted. Facilities have been provided for persons who came late or who could not make their claims in time. There is the provision of Advisory Board, and so on. I do not want to take much of the time of the House because some of these provisions have already been related before this House by hon. Members who have spoken before me.

The most important recommendation of the Joint Select Committee I regard to be the one which is contained in paragraph 14 of the Select Committee's Report, and it is to this effect:

"The Committee have given anxious thought to these suggestions and representations and while appreciating that the Government has remarkable achievements to its credit in the matter of relief and rehabilitation of such a large number of displaced persons in various ways, the details of which are enumerated in the pamphlet on Interim Compensation issued by the Ministry of Rehabilitation, the Committee feel that the suggestion for increasing the amount of compensation to 50 per cent. of the urban verified claims which in their view is neither unreasonable nor excessive deserves the serious attention of the Government and the Committee strongly and unhesitatingly

recommend that Government should make further substantial contribution to the compensation pool in the manner they think best."

The Committee has advisedly, in my opinion, refrained from making any specific recommendation in this behalf. I am glad to find that this unanimous recommendation of the Joint Committee has been unanimously expressed by Members in this House. Even some of the Members have gone so far as to say, especially our Leader who spoke last, that the compensation pool must be expanded very generously and not confined even to the 50 per cent. demand that has been voiced by the displaced persons. I wholly and entirely agree with him and I think that the Government should not be miserly in this matter. They must pay as much as possible. The difficulty is that the compensation pool that has been announced in this Bill is very small, and the whole of it is not cash. The bulk of it consists of house property about whose price we cannot be certain. Prices are falling day by day. They may not fetch the amount that it is thought they would fetch.

Shrimati Sucheta Kripalani has given the three letters of the formula that make up the compensation pool. It is quite obvious that to expect anything from Pakistan, is merely a pious hope. We cannot expect to get anything from Pakistan. Therefore, whatever is got from the two sources, evacuee property and contribution made by the Government will form the pool. Government during these seven long years had been trying to get compensation or come to some agreement with Pakistan. I think Shri D. C. Sharma was hardly justified in blaming the Government for that. There are many persons who become wise after the event and say, 'I told you so'. He himself is even now optimistic and says that some day, an agreement will be arrived at with

[Shri M. L. Agrawal]

Pakistan. While he himself is hoping for a settlement with Pakistan, how can he blame the Government or the Ministry of Rehabilitation for trying to come to an agreement all these seven years? It was done in the best interests of all and had they succeeded, the compensation pool would have considerably gone up.

Just as I said now, the only important point is regarding the compensation pool. Therefore, I would not take much of the time of the House by going over to the other provisions. I find one lacuna in the Bill about which I have given notice of two amendments, one to clause 12 and another to clause 14. It may be remembered that in the Administration of Evacuee Property Act, there is section 17 which reads as follows:

"17. Exemption of evacuee property from processes of court, etc.

—(1) Save as otherwise expressly provided in this Act, no evacuee property which has vested or is deemed to have vested in the Custodian under the provisions of this Act shall, so long as it remains so vested, be liable to be proceeded against in any manner whatsoever in execution of any decree or order of any court or other authority, and any attachment or injunction or order for the appointment of a receiver in respect of any such property subsisting on the commencement of the Administration of Evacuee Property (Amendment), Act, 1951, shall cease to have effect on such commencement and shall be deemed to be void."

In the rules framed under this Act, under rule 22 it was provided that third parties' claims which are registered with the Custodian would be kept in the register of the Custodian and payment would be made.

Mr. Chairman: I think as regards any difference of opinion between the provisions in the Bill as it has emerged from the Joint Committee and what

the hon. Member thinks, there will be enough time when the actual provisions come up for discussion, in the second reading.

Shri M. L. Agrawal: I am referring very briefly generally, because the hon. Minister might make some statement and it may not be necessary to move these amendments. I am referring only generally.

There was rule 22 according to which these claims had to be registered. When people left for Pakistan, they left many liabilities and debts also for which people have secured decrees. In the decrees, the Custodian was invariably made a defendant. Some of these debts were simple debts, unsecured debts; some of them carried encumbrances on property. A different procedure was laid down for simple debts. Nothing has been said how we are going to clear those debts. Because we are considering the compensation pool, and liquidation of the claims of the displaced persons, some provision should be made about that also. This question was raised by me when the motion was made by the hon. Minister of Rehabilitation for reference of this Bill to the Joint Committee. On that occasion, the hon. Minister Shri A. P. Jain said:

"एक सवाल मुकुन्द लाल जी ने उठाया है। और वह सवाल था थर्ड पार्टी क्लेम का। इस वक्त जो मौजूदा मुआवजे का कानून है उसमें उन्होंने कहा कि जिनका रुपया हवैकवीज के ऊपर बाँधिए था, उनका हक है कि वह अपना क्लेम रजिस्टर करा सकें। वह रजिस्टर हो गए हैं और उनके क्लेम के अधिकार के लिए हम इसमें उचित प्रबन्ध रखेंगे क्योंकि हमारी यह मंशा नहीं है कि हम उसमें किसी का पैसा लें। यह दूसरी बात है कि क्या शरायत हों, क्या उनकी जरूरियात हों। इन तमाम बातों पर गौर किया जाएगा लेकिन एंसी बात नहीं है कि उनका पैसा देने का कोई हरादा न हो।"

My point is this. You said, we will pay. You have made no provision for payment. You have considered the pool, its quantum, its dimension and its magnitude. From where else could you pay? I have given notice of an amendment which says that some of those properties which were owned by those evacuees, against whom those debts stood, should be set apart for making payments towards the single decrees and other claims. It is not apparent to me that any such provision has been made in this Bill. If the hon. Minister points it out to me, and gives an assurance that he is still of the same opinion and that a provision would be made or that arrangement is being made and that there would be assets enough to make these payments, I think these amendments would become useless and there would be no necessity for me to move them.

The second amendment is to this effect. I do not want that those claimants who have got their claims registered should have to go to court again to take out proceedings by way of sale, attachment, etc. That thing should also be settled by the Custodian, by the Rehabilitation Ministry according to the rules framed under this Act. This, in short, is the effect of my two amendments. I wish that the hon. Minister when he replies, clarify these points and give the necessary assurance to show that there will be provision for the discharge of these debts. If it is sufficiently clear, there would be no necessity to move these amendments.

With these words, I support the motion moved by the hon. Deputy Minister for Rehabilitation for consideration of this Bill.

4 P.M.

श्री गिहबानी (थाना): समापित जी, श्री टंडन के भाषण के बाद मैं इस बात की आवश्यकता नहीं समझता हूँ कि आपको बताऊँ कि मुआवजे की रकम को बढ़ाया जाए। लेकिन किस तरह मुआवजे की रकम को कम किया गया है, या किस तरह दहाती लोगों के क्लेम को रद्द किया जाता है, इसके सम्बन्ध में एक ही जजमेंट

आपके सामने पढ़ कर सुनाता हूँ ताकि हमारे और मंत्रियों को मालूम पड़े कि मुआवजे में कितनी रकम होनी चाहिए और किस प्रकार से वह कम कर दी गई है।

"Before Shri Jugal Kishore Khanna, Settlement Commissioner.

"Respondent's Claim in respect of 17 rural houses and plots had been verified by Shri Hingorani, Claims Officer, for Rs. 49,869 against total claim of Rs. 74,000. In *suo motu* revision claim in respect of two plots was disallowed and claim stood verified for Rs. 46,569. Another notice was issued to him to show cause why the entire claim should not be rejected as he has been allotted agricultural land and each of the property in claim to his own admission is of the value of Rs. 20,000 and even Rs. 10,000. The agent of the petitioner has contended before me that 9 bighas and seven biswas has been given on lease to the claimant by the Custodian of Bhilwara and that it is a lease from year to year. Land is still under lease on the old terms. I have no manner of doubt that this allotment however temporary it may be hits the claimants and that under the Government of India notification value of each of the property in claim should have been Rs. 20,000 or above. According to the order of Shri Hingorani none of the rural property has been estimated for more than Rs. 10,000. The entire claim is therefore liable to rejection. It is realised that this allotment marks very bad and the total claim of Rs. 46,569 is to be thrown out but as already pointed out, being an allotment of agricultural land there can be no escape from its consequences. I, therefore, by virtue of the powers vested in me under 5(1)(b) of the Supplementary Act set aside the orders passed by Sarvashri Hingorani, Claims Officer and Tirth G. Sabhari, Claims Commis-

[Shri Gidwani]

stoner and reject the claim in its entirety."

This allotment also was on temporary lease. It was not even on a quasi-permanent basis.

इससे आपको अन्दाजा लग जाएगा कि ऐसे हजारों कसेज हैं जिनको अगर चार एकड़ जमीन मिली है और उसके मकान की कीमत ६६६६ रुपए है तो उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अगर एक एकड़ भी जमीन मिली है और ६६६६ रुपए भी उसके मकान की कीमत है, तो भी उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह से अगर १० एकड़ या उससे ऊपर किसी को जमीन अलाट की गई है और उसके मकानों का क्लेम अगर २०,००० रुपए से कम का है या कीहए १६,६६६ रुपए का है तब भी क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और जहां कि टम्परैरी लीज पर जमीन उन लोगों को दी गई थी जिनको कॅम्पस से उठा कर रीहीबीलिटेट करना था, क्योंकि सरकार उन पर कॅम्पों में खरचा करती थी, उन पुरशार्थियों के क्लेम भी उस तरह से रद्द किए गए हैं।

A claim worth Rs. 46,000 in one case has been rejected. This is not a solitary case. There are hundreds of cases like this.

इसके बाद दूसरे लोग वह हैं जिन्होंने क्लेम्स दाखिल किए और जिनको कहा जाता है कि तुम्हारे क्लेम्स हमारे दफ्तर में नहीं पहुंचे। मैंने इसके बारे में एमेंडमेंट दिया है :

The claims of those persons who have submitted their claims to local authorities such as Camp Commandants, Rehabilitation Officers, Collectors, Deputy Commissioners etc., and have received due acknowledgment from them but have not received the index number from the Claims Department, and also those displaced persons who owing to illness or other causes could not file their claims, should be considered.

* इनके क्लेम्स अभी तक वीरफाई नहीं हुए।

इसके बाद कुछ लोग ऐसे हैं जो दूरी से हिन्दुस्तान में आए। और उसके बारे में हमारी जो सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट है उसमें रिकमेंडेशन है। लेकिन कानून में अभी तक नहीं है। मुझे आशा है कि इसका एश्योरेंस मिल जाएगा।

तीसरा वह है

The claims of those persons who applied for verification of claims after December, 1951, but whose claims were rejected on the plea of limitation, and also such applicants who, when subsequently the time for verification of claims was extended to August, 1952, filed their claims, should also be considered.

Mr. Chairman: May I interrupt him for a moment? These amendments the hon. Member will have to move at the time of the second reading, and then again argue the same thing. Why does he not utilise the little time available on other matters?

Shri Gidwani: If you let me know what time is likely to be given for the clauses....

Mr. Chairman: I am giving fifteen minutes to each speaker.

Shri Gidwani: No, for the clauses.

Mr. Chairman: That I do not know. Anyhow, the hon. Member will have to move these amendments.

Shri Gidwani: I will have to move if I get an opportunity, but if the Minister accepts these amendments, there will be no need.

Mr. Chairman: Then, if all the amendments are discussed at this stage....

Shri Gidwani: All right. I do not mind. I wanted to speak on them so that our time may be utilised properly, because there are hardly two hours and fifteen minutes left.

Sardar Hukam Singh: We have got one hour today.

Shri Gidwani: Two hours tomorrow

Sardar A. S. Saigal: In all six hours.

Shri Gidwani: Very well, I will move these amendments at that time.

Then, I come to the question of compensation. The displaced persons who have come to India have been demanding compensation from the very beginning. We held a conference as early as 1949 in May, and we wrote to the Prime Minister that we should get compensation and that the Government was legally and morally responsible for the losses suffered by us. To that he replied to me, because I was the President of that conference, that apart from its practicability, it was open to question whether the Government of India was legally or morally responsible for the losses. Then, we carried on agitation and two conferences were held in July, 1949, and Shri Gopaldaswami Ayyangar who used to deal with these matters...

Sardar Hukam Singh: It was not a conference, but a convention.

Shri Gidwani: The first was a convention. Shri Gopaldaswami Ayyangar called the convention to which about forty of us were invited. In that conference this is what he said. I am quoting a press report:

"The hon. Shri Gopaldaswami Ayyangar winding up the Conference proceedings, assured the displaced persons that at no time had he felt any doubts about the right to compensation to those who had left their properties on the other side. The compensation may not be in the form the displaced persons wanted. It might be partly in land, partly in house property, partly in cash and very probably partly in the shape of some kind of bonds."

Then again, another conference was held in 1950 to which, excepting the officials, three non-officials were invited—Bakshi Tek Chand, Shri Jaspat Roy Kapoor and myself. In that conference Shri Gopaldaswami Ayyangar assured us that compensation would be paid to us, and put forward the

X Y Z formula that is known to everybody. When I put him a question: "What will be the nature of the compensation? How much amount will you give from the Government resources", then he said—this is what he said:

"There would be three sources from which such compensation would be paid. Firstly, the properties left by Muslims in India, say X, secondly, such difference in values of respective properties as may be realized from Pakistan, say Y; and lastly a substantial amount from the Government of India, say Z."

Then we asked him: "What will be that substantial amount? Supposing you give us a small amount and say it is substantial"? He assured us and he told us that that amount would be such as would not dissatisfy the displaced persons.

So, my point is this, that today not only the displaced persons, but also our friends in the Select Committee, most of whom are non-displaced persons—I am thankful to them—have all unanimously stated in the Select Committee report that this compensation pool which has been now given by the Government is insufficient, inadequate. When all the Members of the Select Committee, including so many non-displaced persons, have arrived at that conclusion, it is wrong for the Government to say they will not add anything more to it.

As Shri Purshottam Das Tandon has suggested, I would suggest another thing which may be very easy of acceptance by the Government. For the last seven years, Government has been budgeting Rs. 25 to Rs. 30 crores for relief and rehabilitation of displaced persons. Now, according to Government—I would not enter into any dispute about it—so far as the displaced persons from Western Pakistan are concerned, they are almost rehabilitated. I would suggest that Government should make a grant of Rs. 30 to Rs. 40 crores every year

[Shri Gidwani]

for the next five years, out of which Rs. 15 to Rs. 20 crores may be earmarked for the displaced persons from East Pakistan and the rest may be given to us in the form of bonds. If that is done, within four or five years, we will be getting about Rs. 100 crores or Rs. 80 crores, and that will meet our demands. Then the problem is easy of solution. If there is a will, if there is a determination, if there is a desire, then only the problem can be solved. Some extra contribution is necessary for this purpose. This is what we have been demanding for the last seven years. I would go a step further and say this. A few days ago, a question was put in this House by some hon. Member on the locomotives and railway engines that we are getting from America. He asked why there was so much of difference between the prices quoted by Japan, and those quoted by the United States of America. The reply of the hon. Minister of Railways was, we are not concerned with that, because the whole thing is coming as a gift from America to us. When America has given us a gift of \$27 million, why cannot more money be given to our own people in four or five easy instalments, so that the whole problem might be satisfactorily solved?

I would like to bring one other fact to your notice. The Interim Compensation Scheme that is being worked out now gives certain amounts to the displaced persons on a sliding scale or on a graded basis. But the displaced persons have been complaining that from the amount of compensation that they get under this scheme, the dues to Government are being deducted. A person whose claim has been verified to the tune of Rs. 1,000 gets Rs. 600 according to this scheme. If he has to pay arrears of house rent—the house may be Government allotted, or it may be an evacuee property house—some money will be deducted from this amount. The legitimate complaint of the displaced person is that for the last

seven or eight years, he has not received any rents for the houses that he had left in Pakistan, while here even the arrears of house rent are being recovered from him. So, this also reduces the amount of his claim. This is another reason why it is essential that Government should contribute a substantial amount to the evacuee pool.

One other point on which the Joint Committee has reported unanimously is in regard to the loans due from non-claimants. Government had very kindly agreed to reduce their loans by Rs. 300, and the Joint Committee has unanimously recommended that the sum earmarked for remission should be increased to Rs. 500. I hope Government will make an announcement to that effect today.

As regards my other amendments, I shall speak on them, when the Bill is taken up clause by clause.

Shrimati Illa Palchoudhury (Nabadwip): Although I may not be entirely connected with West Pakistan refugees, I come from a district where I have been confronted with this refugee problem very intimately. I would, therefore, like to submit a few points in this connection.

I have seen the misery of refugees in my own district. There are over seven lakhs of displaced persons already in Nabadwip, and I think more are coming in every day. Their suffering and hardship is the same everywhere, whether it be in the Punjab or in Bengal. Those who are suffering need to be treated in the same way everywhere, because what they have gone through does not bear description, and what they are going through here has only to be seen to be believed. They have made the last sacrifice, they have in many cases sacrificed that which is dearer than life itself, honour and decency. They have now come to India, and India must take them to her heart. I may not be able to speak on this from the point of view of

lawyers, but I can give you a picture that approaches this problem from a human point of view.

The pool that is being considered, unless it is at least Rs. 300 crores, is entirely inadequate; it is useless. You can do nothing to compensate the refugees with a pool that is very much less. I do not see why that pool should not be made more, because we must pay a certain price for freedom and we must be willing to pay it. Those who have come away have lost their all and come to India. The pool must at least be Rs. 300 crores, so that the poor people will have their claims in part, compensated at the rate of As. 12 in a rupee, going down in a sliding scale to As. 8 in the case of greater claims, and maybe, to As. 4 in the case of still bigger claims.

We are getting so much outside help in India. With that money we are expected to do so much good to the people here. Help is being given to us by America; there is talk of the steel plant and assistance from the U.S.S.R. etc. We would have had to shoulder the nation-building schemes ourselves. That being so, why cannot our own money be released to put into this pool to compensate the refugees? I would strongly recommend that that should be done.

There is one other point which I would like to bring to the notice of the House, and that is about government servants. There are, about 200 of them, who had at one time opted for Pakistan and had to come away, the conditions there being unbearable. Their case has been pending for years, and they are in a state of flux, so to speak. They do not know what their continuity of service will be, or what their pays will be. I would appeal earnestly to Government that the case of these government servants should be considered, and that these 200 non-Muslim employees of Government may be treated as other Indian optees. This will go a long way in solving the sense of great frustration amongst them.

In regard to rural claims, I do not see why the rural people's claims should be diminished by fifty per cent. from the urban people's claim. What wrong have they done, that they are suddenly told after three or four years, that their claims have been reduced by fifty per cent.? This is very hard and very unfair to them. I beg that this be considered.

The remission of loans under clause 2 of the Bill should be extended to one and all, even to persons who have no claims. This would be only right and compassionate.

The last submission I would like to make is this. Some money must be made available to the State Governments, so that they can go ahead with their schemes, without waiting for sanction from the Central Government. If that is done, the various problems that confront the States, wherever they may be, whether it is the case of East Pakistan or West Pakistan refugees, can be dealt with at the State level at once. Then, the machinery would move quicker, and the rehabilitation work will go through faster. Owing to the money not being available in time, and the waiting for sanction from the Centre, much of the work in the relief camps or other refugee centres gets stuck up. The refugees have to wait and wait for some orders to come through, while they are absolutely torn between misery and hunger. If only the people in the Centre that wait over here to sanction orders and take so long to give them on paper could go there and see their condition, they would grant this amount to the States, so that the States could deal with these problems quickly.

श्री पी० एन० राजभोज : अध्यक्ष महोदय, आज जो बिल आया है उसके बारे में मेरी भी राय है कि जो हमारा शरणार्थी भाई हैं इनके लिए यह बहुत आवश्यक है। इन लोगों ने हमारा देश की आजादी के लिए बहुत कुछ किया है। आज इनका एक बड़ा जल्स निकला था। मैं भी उसमें गया था। मैंने इनकी कहानी सुनी है।

[श्री पी० एन० राजभोज]

में समझता हूँ कि उनके लिए जो प्लान बनाया गया है उसमें और ज्यादा रूमिया होना चाहिए। उनकी दुकानों और मकानों के लिए जो कुछ हो रहा है वह ठीक है। हमारी गवर्नमेंट उनके लिए बहुत कुछ कर रही है। उनकी समस्या को हल करने के लिए हमारे भाई टंडन जी ने बहुत सी बातें बतलाई हैं। उनके सजेरिन्स को अमल में लाने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इन शरणार्थियों में हमारे अछूत भाई भी शामिल हैं जो कि सिन्ध से और पूर्वी बंगाल से आए हैं। उनकी हालत मेरे ख्याल से बहुत खराब है।

टंडन जी ने कहा कि हम अछूतों की समस्या इसमें नहीं आती, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्या सब जगहों पर आती है। यहां भी आती है, कारण जैसा मैंने आपको बतलाया कई लाख हमारे अछूत लोग आज भी वहां पाकिस्तान में पड़े हुए हैं और हालांकि वहां से वे आना चाहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान की सरकार आने नहीं देती। उनको वहां रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार ने एसेंशियल एक्ट बना दिया है। मेरे ख्याल से हमारी गवर्नमेंट की जितनी बॉर्डर माइंडेड पॉलिसी है उतनी पाकिस्तान गवर्नमेंट की नहीं है। आप यहां देखते हैं कि हमारे यहां मुसलमान भाई कितने आराम से रहते हैं, दो मिनिस्टर्स हैं और दो, तीन पार्लियामेंटरी संक्रेंटरी और डिप्टी मिनिस्टर्स हैं और हम सब जानते हैं कितनी खुशी से वे यहां पर रहते हैं। लेकिन वहां की हालत इसके बिल्कुल खिलाफ है और वहां जो हमारे भाई लोग रह रहे हैं उनके कई रिप्रेजेंटेशंस मिले हैं। वहां हमारे एक मंडल साहब मंत्रिमंडल में थे। उनको भी निकाल डाला, सारे मुसलमान ही मुसलमान जिम्मेदारी की जगहों पर रखे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसी उदारता हम दिखाते हैं वैसी उदारता वहां पर नहीं दिखाई जाती। हमारे जो अछूत भाई आज पाकिस्तान में हैं, वे भारत में आना चाहते हैं, लेकिन उनको

आने नहीं दिया जाता क्योंकि वे जो स्वीपर आदि का काम करते हैं उनको अपनी जाति में ऐसा काम करने वाले नहीं मिलते। हमारी गवर्नमेंट को पाकिस्तान गवर्नमेंट पर दबाव डालना चाहिए कि हमारे जो भाई लोग यहां पर आना चाहते हैं उनकी सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए ताकि वे लोग यहां पर आ सकें। मैं सरकार का ध्यान उनकी शोचनीय अवस्था की ओर दिलाना चाहता हूँ और आज हमें यह भी पता लगा है कि हमारे भाइयों को कहीं कहीं पर मुसलमान बनाने की कोशिश हो रही है...

Mr. Chairman: May I point out one thing? After all, we have passed that general consideration stage. At that time it was quite appropriate. Now we are on the Bill as it has emerged out of the Select Committee. So why do you travel over all these grounds? Speak something about what the Government should do.

श्री पी० एन० राजभोज: आप भी शोइल्ड कास्ट के हैं और मैं भी उसी जाति से आता हूँ और आप अपनी चेंबर की निष्पक्षता सिद्ध करने के लिए मुझे रोकना चाहते हैं कि मैंने राजभोज को भी बोलने से रोक दिया।

सरदार ए० एस० सहगल: इसका नाजायज फायदा मत उठाइए।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं भी उसी प्रकार आपको सब बातें बतला रहा हूँ जिस प्रकार टंडन जी ने जनरल बातें बतलाईं....

सरदार हुकूम सिंह: बात से बात निकलती हैं।

श्री पी० एन० राजभोज: ठीक है बात से बात निकलती हैं। तो मैं आपको बतला रहा था कि खाली सरकार की इस बॉर्डर माइंडेड पॉलिसी से हमारे देश का काम नहीं चलेगा। अभी हमारे जो रिपयूजीज के मामले के मिनिस्टर हैं वह क्या कर सकते हैं, क्योंकि आखिर में पॉलिसी तां कॅबिनेट में ही डिसाइड होती है और वहां जो डिजीजन लिया जाता है उसके मुताबिक उनको काम करना पड़ता है। इसलिए कॅबिनेट में इस चीज को प्रेस करना चाहिए और बतलाना

चाहिए कि हाउस की इस समस्या के सम्बन्ध में जनरल ऑपीनियन यह है कि इतनी धीमी धीमी गति से यह जो काम चल रहा है उससे इस समस्या का हल नहीं होगा और हमारे देश का फायदा न होगा। हमें इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए अपने कदम को और तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। निर्वसितों की समस्या हल करने के लिए सरकार को और सक्रिय कदम उठाने होंगे। ईस्ट बंगाल से जो निर्वसित भाई यहां भारत में चले आए हैं उनमें अस्पृश्य जाति के बहुत से लोग हैं और अब भी बहुत से हमारे भाई पीछे वहां पर पड़े हुए हैं, उनके बारे में सरकार कुछ नहीं सोचती और हम लोगों को भी विश्वास में नहीं लेती है।

यह जो वर्तमान कम्पेंसेशन का बिल है उसका मैं स्वागत करता हूं और जिनका नुकसान हुआ है उनको मुआवजा जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि कम्पेंसेशन उन्हीं को मिलना चाहिए जिनको उसकी जरूरत है। मेरा दिल टूट जाता है जब मैं देखता हूं कि वह गरीब लोग जिन्होंने वहां पीछे अपनी जायदाद छोड़ी है, जायदाद उनकी रोजी, रोटी और दूसरी छोटी-छोटी चीजें होती हैं वह वहां छूट गई और यहां उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है। जिनके पास पैसे था वह अच्छी तरह से रह सकते हैं, लेकिन जिनके पास छोटा सा खेत था उनको आज रहना भी मुश्किल हो गया है, इसीलिए मैं हाउस के सामने अपील करना चाहता हूं कि ऐसे गरीब और मुसीबतजदा लोगों की हालत सुधारने की गवर्नमेंट को जरूर कोशिश करनी चाहिए और इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। उन गरीब शरणार्थियों में चाहे कोई अच्छत हो या दूसरी जाति का हो, सबको एक समान सुविधा देनी चाहिए और सरकार को सहायता करनी चाहिए।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह सरकार द्वारा सरकारी और इक्विटी प्रापर्टी की नीलामी है जिसमें सरकार द्वारा यह प्रयत्न किया जाता है कि अधिक से अधिक बोली लगाने वाले को यह

सम्पत्ति दी जाए और जिसका नतीजा यह होगा कि जिसके पास पैसा होगा वह उस जायदाद को खरीद लेगा और गरीब लोगों की जायदाद पैसे वाले ले जाएंगे, इसीलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और ऐसा प्रबन्ध करना चाहिए ताकि गरीब लोगों को उनकी जगहों से बेदखल न किया जा सके और उन्हें ही उसका उचित मूल्य लेकर वह सम्पत्ति उनको दी जा सके। मेरा कहना है कि जो गरीब हैं, निर्वसित हैं, अस्पृश्य हैं उनको घर देना चाहिए, खेत देना चाहिए और कुछ आर्थिक मदद भी सरकार को देनी चाहिए। साथ ही सरकारी अफसरों को हिदायत होनी चाहिए कि वे हमारे भाइयों के साथ अच्छी तरह से व्यवहार करें। आज मैं आपको बतलाऊं कि पूना के पास पिम्परी और कल्याण में हमारे भाइयों पर बहुत अन्याय होता है और आज भी पंजाब में और बंगाल में और दूसरी जगहों पर हमारे साथ ठीक से व्यवहार नहीं होता है और छुआछूत की नीति बर्ती जाती है। गवर्नमेंट हमारे भाइयों की दशा सुधारने के हेतु बातें तो बहुत करती है और कानून भी बनाती है लेकिन खेद का विषय है कि उन पर ठीक से अमल नहीं होता है। मैं कहना चाहता हूं कि यह समस्या जो है यह खाली सवर्ण हिन्दुओं की नहीं है, हमारे अच्छत भाई भी काफी संख्या में पाकिस्तान से आए हैं, उनकी भी हालत सुधारने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको मदद मिलती है और इसीलिए मेरा निवेदन है कि यह जायदादों की नीलामी के सम्बन्ध में सरकार को एक व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, और यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम इस तरह निर्वसितों को दुबारा तो निर्वसित नहीं करने जा रहे हैं। जैसा एक भाई ने सुझाव दिया गरीब लड़कों को स्कालरशिप मिलाने चाहिए, मैं भी इस मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन मैं अपनी सरकार को कहना चाहता हूं कि हंग तो एक माने में निर्वसितों से भी गए गुजर हैं, हम तो हजारों वर्षों से दुबे हुए रहते आए हैं और दरिद्रता में हम उनसे भी गए बीते हैं और जिस

[श्री पी० एन० राजभाज]

सरकार ने उनके लिए एक अलग कार्यालय स्थापित किया उसी प्रकार हमारे लिए भी एक अलग कार्यालय बनाए और हमारी भी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोशिश करें। हम दखते हैं कि आज यह जो शरणार्थियों का मसला आया है तो गिडवानी साहब, और टंडन साहब सब लोग खूब जोर शोर से बोल रहे हैं लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब यहाँ पर कभी अछूतों का मामला आता है तो थोड़ा बचाते हैं और इतना जोर नहीं दिखाई देता....

सरदार हुकम सिंह: उस वक्त भी सब बोलते हैं।

श्री पी० एन० राजभाज: ठीक हैं, बोलते हैं, लेकिन जैसे आज बोल रहे हैं, वैसे नहीं बोलते, यह जोर नहीं दिखाई पड़ता। टंडन जी, और रामराज्य वाले सभी लोग आज बोल रहे हैं और शरणार्थियों पर सरकार द्वारा क्लॉडों स्पष्ट खर्च होने जा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर क्या खर्च हुआ? मैं अपने निर्वासित मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आपने उन अछूत भाइयों के वास्ते क्या किया....

श्री आर० एस० तिलारी (छतरपुर—दतिया—टीकमगढ़): वह तो एक दश से निर्वासित हुए आए हैं, आप कोई दश निर्वासित थोड़े ही हैं।

श्री पी० एन० राजभाज: आप कहते हैं कि हम निर्वासित नहीं हैं, लेकिन वाक्या यह है कि हमारी हालत निर्वासितों से भी बदतर हो रही है। अन्त में मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप मेरे सुभावों पर ध्यान दें और दूसरे आपको अपनी पालिसी भी जरा कड़ी करनी चाहिए, पाकिस्तान से आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, वह तो एक छोटा सा दश है, उससे डरने से हमारा काम नहीं बनेगा। हम एक शक्तिशाली मुल्क हैं और हमारा संगठन काफी मजबूत है और हमें मजबूती के साथ एक सही पालिसी पर चलना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान से लड़ाई के वक्त तो राजभाज को आगे कर दो लेकिन लड़ने के वक्त उनकी जगह पर मंत्र बोलने वालों को

आगे कर दिया जाए। हम लोगों ने जब भी दश पर संकट आया है, अपनी कुरबानी दी है और आगे भी देंगे लेकिन साथ ही सरकार का भी कर्तव्य हो जाता है कि हमारी ओर ध्यान दें और हमारी आर्थिक, सामाजिक और सब प्रकार की उन्नति करें।

श्रीमती सुभद्रा जोशी (करनाल): सभापति महोदय, अभी जो बहुत से भाषण.....

Sardar Hukam Singh: May I point out one thing? I do not at all grudge this opportunity being given to my sister. But there was one opportunity given when she was called and she refused to speak. I want a ruling on that. Can an hon. Member have an opportunity when he was once called and refused to speak?

Mr. Chairman: But she is already speaking. There can be no point of order now.

श्रीमती सुभद्रा जोशी: सभापति महोदय, आज हम लोग समझते थे कि खुशकिस्मती हैं हमारी कि आखिर वह दिन देखने को मिला जिस की चर्चा आज सात साल से चल रही थी।

Mr. Chairman: I hope the hon. Member will finish in 15 minutes.

श्रीमती सुभद्रा जोशी: हम लोगों की खुशकिस्मती है कि आज वह विधान आया जिसका हम लोग सात सालों से इन्तजार कर रहे थे अर्थात् इसका, कि हम शरणार्थी भाइयों को कुछ कम्पेन्सेशन मिले, बिल आज हमारे सामने है। पर जो खुशी थी वह जाहिर कम की गई। कुछ सदस्यों की बातों से तो ऐसा मालूम हुआ कि उनको बड़ा अफसोस मालूम हो रहा है कि वह दिन निकले जा रहे हैं, वह चैंप्टर क्लोज हो रहा है, जिस वक्त कि शरणार्थी भाइयों की लीडरशिप करना बहुत आसान है। कभी कभी पाकिस्तान बनते हैं, सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद ऐसा हुआ कि दश के दो टुकड़े हुए, और कुछ लोगों की खुशकिस्मती समझिए कि लाखों अभाग्य लोग इधर से उधर हो गए और उनका लीडरशिप करना बड़ा आसान हो गया। और

इस लीडरशिप में, सभापति महोदय, सब से ज्यादा जो काम आने की बात है वह यह है कि शरणार्थियों के बारे में जितना कम काम हो उतनी ज्यादा आसानी से इस मामले पर बातचीत हो सकती है। उतना ही आसान हो जाता है शरणार्थियों का लीडर बनना। मुसीबत-ख़दों की बातों के मामले हमारे सामने लाए जाएं - था उस समस्या को लोग समझ जाएं तो बात और हो जाती है। सभापति महोदय, मुझे को याद आया कि हमारे यहां से एक जगह एंसेम्बली की सदस्यता के लिए एक साहब खड़े थे जो कि बिल्कुल पढ़-लिखे न थे। गांव वालों ने बड़ा शोर किया कि यह पढ़-लिखे तो बिल्कुल नहीं हैं, वहां जा कर क्या करेंगे। इस पर उस आदमी के दोस्तों ने कहा कि तुम बड़े बेवकूफ हो, पढ़-लिखे लोग काम नहीं कर सकते। लोगों ने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि जो पढ़-लिखा मेम्बर होगा तो वह तुम से कानून की बात करेगा और फॉरन कह देगा कि यह काम नहीं हो सकता। लेकिन अगर अनपढ़ होगा तो वह सिर पर सवार हो जाएगा, दिल्ली और चंडीगढ़ तक हर एक के पास भागा भागा फिरंगा। मंत्री कहेगा कि कोई काम नहीं हो सकता है तो वह कहेगा कि क्यों नहीं हो सकता है। अगर वह अनपढ़ होगा तो मोर्चा लेगा और एक एक कदम पर लड़ेगा। तो आज जब मैंने भाषणों को सुना तो मुझे मालूम हुआ कि लोग जानते नहीं हैं कि इस बिल में क्या है पर बड़े जोर से सवालियों को उठा रहे हैं। कहा गया कि उन मकानों को जिनमें लोग रह रहे हैं गवर्नमेंट नीलाम कर रही है। जहां तक मुझे मालूम है सिर्फ खाली मकानों को इस बक्त सरकार नीलाम कर रही है, जिन में शरणार्थी बैठे हुए हैं उनका नीलाम नहीं हो रहा है। और कोई मकान इस किस्म का नीलाम नहीं हुआ जिसमें कि कोई बैठा हो। इसलिए उन लोगों का ऐसी बात करना ठीक नहीं है।

ट्रस्ट्स के बारे में भी कहा गया कि उनको कुछ नहीं दिया गया है। हमारे टंडन जी ने भी फरमाया कि बहुत सा पैसा वे लोग वहां पर छोड़ आए हैं, लेकिन उनके लिए कोई इंतजाम

नहीं है। आपने फरमाया कि मैंने सुना है कि कोई इंतजाम नहीं है। पार्लियामेंट में सुनने से कोई काम नहीं चलता है। बिल को पढ़ने से काम चलता है। अगर वह इस चीज का अध्ययन करते तो देखते कि कुछ न कुछ प्राविजन इन सब चीजों का इस बिल में मौजूद है।

श्री टंडन: सभापति जी, मेरा नाम लिया गया है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी देवी जी ने मुझको बिल्कुल गलत समझा है। मैंने जो कहा था वह यह है कि महज यह कह देना कि गवर्नमेंट ट्रस्टों का इंतजाम करेगी, यह गलत चीज है। उनको पूल के अनुसार मिलना चाहिए। मैंने यह कहा था कि इसमें कोई तर्क नहीं है कि एक आदमी को तो पैसा मिले लेकिन ट्रस्ट को पैसा न दिया जाए। अगर आप इसका जवाब देना चाहें तो दे सकती हैं। मैंने यह कहा था कि ट्रस्ट को गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देना कि वह जा कर उससे तुरामद करे, यह मुनासिब नहीं है। पूल में होना चाहिए उनका अधिकार। मगर चीक एल थोड़ा है इसलिए पूल को बढ़ाना चाहिए। मेरी यह दलील है कि पूल इतना हो जिसमें से ट्रस्ट को भी दिया जाए और व्यक्तियों को भी दिया जाए। अगर आपको यह नापसन्द है तो आप कह सकती हैं।

श्रीमती सुभद्रा जोशी: सभापति महोदय, अगर समझने में कुछ गलती हो, तो मैं उसकी माफी चाहती हूँ।

दूसरी बात जो यहां कही जाती है वह कम्पेन्सेशन पूल के लिए है। पूल में दो चीजें हैं। एक तो है इवैक्वी प्रापर्टी और दूसरी है वह जो सरकार अपनी तरफ से पैसा पूल में डालेगी। जो पैसा सरकार डालेगी उसको बढ़ाया जा सकता है और उसको बढ़ाने की मांग करना जायज हो सकता है। मैं भी चाहती हूँ कि उसको जहां तक बढ़ाया जा सके, बढ़ाया जाए। पर मुझे अफसोस इस बात से हुआ कि जो बार बार इवैक्वी प्रापर्टी का जिक्र किया गया और उसके बारे में कई किस्म की चर्चा की गई। सभापति महोदय, मैं

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

कहना चाहती हूँ कि इवैकवी प्रापर्टी का इतिहास पाकिस्तान में जो है वह तो है ही, लेकिन हमारे यहां का जो इवैकवी प्रापर्टी का इतिहास है वह भी कोई गौरव की बात नहीं है। वही खून से सना हुआ इतिहास हमारे यहां भी है। हमारे यहां इवैकवी प्रापर्टी उन लोगों की है जो हमारे यहां से गए हैं। यह तो सभी लोग जानते हैं। जो लोग यहां से चले गए, मारे गए, या उजड़ गए, जिस तरह से वहां से हमारे यहां लाखों भाई आए, उनकी प्रापर्टी यहां रह गई। उनकी प्रापर्टी से या जो कुछ वहां हुआ उससे मुकाबला करके नापना या तोलना कि वहां क्या हुआ या यहां क्या हुआ, यह मेरी मंशा नहीं है, पर वह प्रापर्टी इवैकवी की हो गई। एक अजीब बात जो हमारे यहां हुई जिसका कि पाकिस्तान ने कभी सवाल नहीं उठाया, वह यह भी कि वहां से तो हमारे भाई यहां आ गए, उनकी जायदाद वहां पर ही रह गई, लेकिन हमारे देश में उन लाखों भाइयों की जायदाद जो कि इसी देश में मौजूद है, इवैकवी प्रापर्टी के नाम से हो गई। इस चीज का जिक्र करना हम लोगों ने कभी मुनासिब नहीं समझा, और न करते हैं, इस कारण से कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे हिन्दुस्तान के बाहर के दूसरे मुल्क इस चीज का फायदा न उठाएं। मैं कहना चाहती हूँ, हमारी सुचेता बहन होतीं तो वह दिल्ली की बात जानती होतीं, कि जिस वक्त यहां पर फसाद हुए तो लोग यहां से चले गए, मारे गए। जो चले गए वह कहां चले गए? जो पाकिस्तान चले गए उनकी दूसरी बात है, लेकिन जो लोग यहां सब्जी मंडी से बाड़ा हिंदू राव चले गए, पहाड़गंज से बल्लीमरान में चले गए या किसी मस्जिद में चले गए, उनके मकानों का क्या हुआ? हमारे यहां जो पहला सवाल उठा वह यह था कि जो मकान खाली हुए हुक्मत उनकी मालिक बन गई, और अगर मुझे याद पड़ता है तो हमारी सुचेता बहन भी शायद उस कमेटी की मेंबर बनीं। यह सभी को मालूम है कि जो लोग मकानों में नहीं मिले, उनकी मालिक गवर्नमेंट बन गई। इस बारे

में गांधी जी ने कहा था कि जिन मकानों के मालिक जिन्दा हैं, अगर उनकी मालिक सरकार होती है तो वह सरकार चोरों की है। और उस वक्त यह कस्टोडियन ला बना। यह कस्टोडियन ला इसलिए बना था कि वह उन मकानों की और जायदादों की रक्षा करेगी। उस कानून में रक्खा गया कि अगर कोई आदमी अपनी प्रापर्टी की ईत्त-भाल नहीं कर सकता है तो वह प्रापर्टी इवैकवी प्रापर्टी हो जाएगी, कस्टोडियन की प्रापर्टी हो जाएगी। उस वक्त यह था कि जब तक वह आदमी आ कर नहीं कहेगा कि यह मेरी प्रापर्टी है तब तक उसकी हिफाजत सरकार करेगी और जब आदमी आएगा तो वह उसको मिल जाएगी। हिन्दुस्तान में सिर्फ एक मुहल्ले से दूसरे मुहल्ले में चले जाने वाले की प्रापर्टी इवैकवी प्रापर्टी हो गई और बड़ी इमानदारी से हो गई। लेकिन बदीकरमती है हमारी कि उस प्रापर्टी के ऊपर हमने उन लाखों आदीमियों का जो कि पाकिस्तान से आए थे, अपना सब कुछ छोड़ कर आए थे, इन्टरस्ट क्रिएट कर दिया। उस प्रापर्टी के साथ यह बात भी थी कि जो खाली मकान थे, उनमें उन भाइयों को आबाद किया जा सकता था, वह जायदाद भी दी जा सकती थी, इसलिए हमारे भाइयों ने उस प्रापर्टी को अपनी समझा, जैसे कि हमारा ला समझता है। यह बड़ी भारी भूल थी कि हम ने उस प्रापर्टी में उनका यह इन्टरस्ट क्रिएट कर दिया कि जिन भाइयों को कम्पेंसेशन मिलना है उनको यह प्रापर्टी भी मिल सकती है। हम जा कर कहते हैं कि हमारी सेकुलर हुक्मत है, उन भाइयों से जा कर कहते हैं कि हमारी हुक्मत सेकुलर है, तो वह कहते हैं कि हम इस सेकुलर हुक्मत को ले कर क्या करें। वह लोग सांचते हैं कि अगर यह हमारे भाई पाकिस्तान को चले गए तो मकान और जायदाद सब हम लोगों को मिल जाएंगे। यही फसाद के वक्त में हुआ था। जो लोकल लोग थे उन्होंने मार्केट में हिस्सा लिया यह समझ कर कि हम यहां के लोगों को मार कर भागेंगे तो उनकी सब जायदाद हमको

मिल जाएगी। उस वक्त वे लोग कम्यूनल हो गए थे। अब उनको मालूम हो गया कि वह उनको नहीं मिलेगी, शरणार्थियों को मिलेगी, तो फिर संकुलित हो गए और कहने लगे कि उन मकानों को पाकिस्तान से आए हुए लोगों से ले लिये जाए। इसलिए हम ने जो यहां पर एक इन्टरस्ट क्रिएट कर दिया उसका फल यह हुआ कि उससे ऐसे हालात डेवलप हुए जो कि आज सिर्फ बाहर ही नहीं नजर आते हैं, बल्कि इस सभा में भी नजर आते हैं और सबको बड़ी शर्म महसूस होती है।

सभापति महोदय, अगर आप हमारी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को देखें तो पाएंगे कि एक आदमी वहां गवाही देने के लिए आए थे। वह भाई इसलिए आए थे नुमाइन्दगी करने कि आज तो वह छोटं लीडर हैं, लेकिन वह हमारी गाइडेंस पा कर बड़े लीडर बनने वाले हैं। और यह भावना उनके दिल में है। उन्होंने कहा है :

“The sale by Muslims of their property should be prohibited. In two or five years the owners of the property, finding that they cannot sell their property or allow their nominees (most of them being sold) to stay in India for an indefinitely long period and themselves being unable to subsist for long without income from their property, will have no other recourse, except to come round and agree for exchange of their property.....”

तो एक मॉटीलटी जो हमको एन्करज करती है वह यह है कि यहां से भागते जाओ और इक्वी प्रॉपर्टी बढ़ाते जाओ। यह जो धारणा हम में आ गई है कि हमको आदाद होने के लिए चिन्सी को उजाड़ना बहुत लाजमी है, इसके बगैर हमको कम्पेंसेशन नहीं मिल सकता है, यह बहुत मददगार होने वाली नहीं है। हमारे कुछ भाइयों ने कहा कि एंसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें एक आदमी यहां है और उसके बीवी बच्चे वहां पर हैं। जाहिर है कि यह अपसाइनाक बात है। पर मैं आपके सामने दूसरा नजरिया रखना चाहती हूँ। मैं अपनी हकूमत पर कोई

रिफ्लेक्शन नहीं डालना चाहती, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है कि इन लोगों की बीवियां और बच्चे सात साल से पाकिस्तान में तड़प रहे हैं कि हमको अपने हसबैंड के साथ नहीं रहने दिया जाता। हमें उनके पास नहीं आने दिया जाता। उनके यहां आने में दिक्कत है। सुचेता बहिन यहां तो एक बात कहती हैं, लेकिन जब वे लोग उनके पास जाते हैं तो उनके लिए दाँड़ी दाँड़ी फिरती है और उनके लिए सब कुछ करना चाहती है। तो हम चाहते हैं कि वे फॉमलीज एक साथ रहें। पर मेरी यह समझ में नहीं आता कि आज हिन्दुस्तान में किसी भी सिटीजन के लिए प्रॉपर्टी रखने के लिए यह क्यों जरूरी समझा जाए कि उसको बीवी बच्चों को अपने साथ रखना जरूरी है। मैं नहीं समझती कि उससे यह कैसे कहा जा सकता है कि तुम्हारे बीवी बच्चे वहां हैं। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारे साथ नहीं हैं तो तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं है। जब तक किसी प्रॉपर्टी का मालिक हिन्दुस्तान में है तब तक उसको अपनी प्रॉपर्टी रखने का पूरा अख्तियार है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमको इस मॉटीलटी को डिस्कॉर्ज करना चाहिए, क्योंकि जो हिन्दुस्तान के नागरिक हैं उनको प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। सब लोगों ने यहां कहा है कि हमारी यह नीयत नहीं है कि जो यहां के नागरिक हैं उनको हटाकर औरों को आबाद करने की कोशिश करें।

दूसरी बात मैं कम्पेंसेशन के बारे में कहना चाहती हूँ। अभी हमारे राजभोज साहब ने उधर से संकेत किया कि आखिर यह चीज हम क्यों कह रहे हैं कि कम्पेंसेशन हो। सवाल यह होता है कि वह प्लू कहां से आया। प्लू दो ही जगह से आया है। एक तो उसमें इक्वी प्रॉपर्टी है और दूसरे गवर्नमेंट ने कुछ दिया है। अब गवर्नमेंट वह चीज कहां से लाई। जाहिर है कि वह छोटं छोटं लोगों से टैक्स लगाकर लाई है। किसी की रोटी छीन कर, किसी का कपड़ा छीन कर, किसी का साबुन और तेल कम करके, वह छोटं और बड़े लोगों से यह टैक्स लाती है। यह पैसा प्लू में दिया गया है। लेकिन इसके

[श्रीमती सुभद्रा जोशी]

बार में यह अभी तक किसी ने नहीं कहा कि इसका बटवारा किस तरह होना चाहिए। बटवारे के बारे में मैं एक बात आपके सामने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट से रखना चाहती हूँ। मुझे ताज्जुब हुआ कि यह नोट उसमें कैसे शामिल कर लिया गया। यह नोट आफ डिसेंट तो हैं नहीं। यह एक नोट था जिसको शामिल कर लिया गया। शायद यह सजेशन बहुत पसन्द किया गया हो। लेकिन आज बीसवीं सदी में इसका जिक्र करने से जरा हंसी आती है। लालीसह साहब का यह नोट है और उन्होंने कहा है। "जिस तन लागे सो ही जाने और को जाने पीर पराई" और आगे उन्होंने लिखा है :

"How I wish that people in India, far away from the scene of tragedy, could have a more vivid picture of the sufferings and sacrifices undergone by the refugees—not merely a question of being forced to leave behind their palatial buildings, smiling fields, flourishing business and other enormous moveable and immoveable property....."

तो आज हमें उन भाइयों से पूरी हमदर्दी है जो कि पेंलेशियल बिर्लिडरस छोड़ कर आए हैं। पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हिन्दुस्तान में हमारा नक्शा किसी और तरफ चल रहा है। हम डैथ ड्यूटी लगाकर, इन्कम टैक्स बढ़ाकर, लैंड की सीलिंग लगाकर कोशिश यह कर रहे हैं कि जो हमारे यहां अनईक्वेल डिस्ट्रीब्यूशन आफ वैल्थ है उसको कम करें। तो आज हमारे भाई लालीसह साहब ने किसी जगह यह जिक्र नहीं किया कि यह कम्पेन्सेशन का बटवारा किस तरह से हो। यह सवाल कि इस पूल का बटवारा कैसे हो यह कोई रिफ्यूजी और नान-रिफ्यूजी का सवाल नहीं है, यह किसी हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है। यह सवाल है रिफ्यूजी और रिफ्यूजी का। यह जो हमारे पास पूल है उसमें से हम क्या चाहते हैं? क्या ज्यादा से ज्यादा अमीर आदिमियों के पास चला जाए या ज्यादा हिस्सा गरीबों के

पास पहुँचे? जितने रुपए से एक कोठी बन सकती है उससे कहीं सौं घर आबाद हो सकते हैं। आखिर एक बात हम सब कहते हैं और मानते हैं कि हम चाहे कितनी भी मदद करें हिन्दुस्तान में हमारे शरणार्थी भाइयों की वह दशा नहीं हो सकती जैसी कि उनकी अपने घर पर थी। पर जो कुछ भी थोड़ा बहुत हमारे पास देने के लिए है उसमें हमको यह दर्खना है कि आया हम कोठी बनाने में मदद करें, जागीर बनाने में मदद करें या उससे सौं, दो सौं, पांच सौं फीमली आबाद करने की कोशिश करें। तो जैसा कि राजभाज जी ने कहा यह बटवारे का काम ठीक से होना चाहिये। किसी ने उसका जिक्र ही नहीं किया। इन रिफ्यूजीज में हरिजन हैं, मजदूर हैं, बेवा औरतें हैं उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके छोट छोट क्लेम्स हैं, उनका क्या होगा? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके कोई क्लेम नहीं है उनका क्या होगा। तो मैं सोचती हूँ कि हुकूमत को इस तरह तबज्जह देने चाहिए। अगर आज पेंलेशियल बिर्लिडरस बनाने का स्थल रखा जाएगा तो यह हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं होगी।

आखिरी बात मैं यह कहना चाहती हूँ कि यहां प्रोफेसर साहब ने कहा कि इवैक्वी प्रापर्टी सिर्फ उन्हीं को मिले जो कि रिफ्यूजी हैं। लेकिन अगर गलतफहमी न हो तो मैं यह कहूंगी कि यह कहना नामुनासिब है कि रिफ्यूजी को यह मिले या वह मिले। मैं सिर्फ गवर्नमेंट की तबज्जह इस तरफ दिलाना चाहती हूँ कि मदद देने के जोश में कहीं ऐसा न हो कि हम किसी को उजाड़ दें। जो इवैक्वी प्रापर्टी है उसमें तीन या सार्द तीन लाख के करीब मकान हैं। इसमें से एक तिहाई जो प्रापर्टी है उसमें नान-रिफ्यूजी बैठें हैं। यह हमारी बदाकिस्मती है कि हम समझते हैं कि इवैक्वी प्रापर्टी से ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों का है। और चूँकि इसका ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से है इसीलिए चाहे कुछ करो कोई कुछ कहेगा नहीं। पर इन मकानों में जो लोग बैठें हैं, जो किरायेदार बैठें

हैं वे सब मुसलमान नहीं हैं। उनमें हिन्दू भी हैं, सिख भी हैं, मजदूर भी हैं, हरिजन भी हैं। और ये जो किरायदार हैं ये बरसात से चले जा रहे हैं, इनकी पीढ़ियां इन मकानों में गुजर गई हैं। तो आपसे यह दरखास्त करना चाहती हूँ, जैसा कि बिल में दिया हुआ है कि हम चाहते हैं कि एसा न हो कि इन भाइयों को डिस्सेस कर दिया जाए। किसी को आबाद करने के लिए जो आबाद हैं उनको न उजाड़ दिया जाए क्योंकि उनको भी आबाद करने का हुकूमत का उतना ही बड़ा फर्ज है जितना कि शरणार्थियों को आबाद करने का।

Mr. Chairman: Sardar Hukam Singh.

Sardar Hukam Singh: Sir, I was going away and therefore I had requested that time might be given to me. If I begin my speech now I cannot continue it tomorrow. I am sorry I have to go away and I cannot stay.

Mr. Chairman: He may speak a few words. I did not know that he was going away.

Sardar Hukam Singh: I wrote to you.

Mr. Chairman: I did not look into it; I simply noted the name. He may speak for a few minutes.

Sardar Hukam Singh: I am thankful to you for affording me this opportunity. I had many things to say, but because the time would be limited I will first of all take up certain points that have been mentioned by the previous speaker.

I am glad that there are certain advocates for those evacuees who have left this country and who say they are greater sufferers. The Bill relates only to the properties that are left behind and that are to be distributed among the refugees here. If we had confined ourselves to that, it would have been better.

But certain things have been said which cannot go unchallenged. Here it has been said that vacant houses

only are to be sold. It is wrong. It is not only vacant houses; even the houses of such refugees who were not allotted those plots or those houses but who have got it from those allottees, they are called 'unauthorised'. They are being evicted and told that they have no right to be there and that those properties are going to be sold. They are being sold. Therefore this impression, that only those houses that are lying vacant are sold, is wrong. Such properties also are being considered 'vacant' where, according to the authorities, the persons occupying them are not authorised displaced persons but unauthorised displaced persons.

As has been said at many points, there are so many persons who have not been allotted any house so far. They have no place to live in. If any refugee, who is really a *bona fide* man, has got the house from some other refugee, because that other refugee has moved to some other place in search of employment etc., then it is the responsibility of the Government to accommodate him as well. And the cry that we hear inside Parliament and outside is about that. As has been said by our revered friend Shri Tandon, there are even now in Delhi houses which are ten feet by ten feet and there are two or three families living there. Is that human habitation? Is it not the responsibility of the Government to provide them with accommodation? Should they sell these properties instead of providing those persons with some place to live in? Do not they have some prior claims over that property? That is our point, that they should be given such tenements as are available with the Ministry and have been built.

Then it was said that the property of even those who are here has been declared to be evacuee property. That is wrong. There is provision and everybody has supported it in the Select Committee. I am sorry that a Member of the Select Committee should come up and say, like that,

[Sardar Hukam Singh]

When all were unanimous that nobody likes to take away the property of that Muslim who has not gone out of India, and all that may be restored. All of us were unanimous on that and we supported that provision. We want that every property whose owner has not moved out of India may be restored. What we wanted was something else. There was a camouflage. A Muslim—I am not casting any aspersions—had two wives. One of them he has taken away. The other is occupying the house here. Can it be believed that that husband and wife want to come away and join this wife here? Or is she occupying the house simply to sell it and go away?

We have made our law as liberal as it possibly could be.

Shri Nand Lal Sharma: As defective as possible.

Sardar Hukam Singh: As liberal as possible. And our Government has been sending the rents of the evacuee properties here to the First Citizens of Pakistan. Take Mr. Liaquat Ali Khan. He got Rs. 75,000 rent out of his property in U.P., even after the promulgation of the ordinance. Even then there is a complaint that we have been taking away the properties of Muslims who reside here! He was there out to confiscate all our property, to take away all that and to drive away non-Muslims; and we were paying him all the incomes out of arrear rents that we could gather for him.

I can only read and quote the opinion of the Government itself as to what divergence there was between the viewpoints of India and Pakistan in regard to this evacuee property. The Government say in their booklet *Concerning Evacuee Property* as follows:

"It is clear that a fundamental divergence of opinion exists between the two Governments. While the Government of India feel that

the property left behind by evacuees from either Dominion cannot be used by the Government concerned without paying fair compensation to the owners, the Pakistan Government wish to use such property for the benefit of their Muslim nationals without any compensation, and without the payment of even current normal rent. It is no use maintaining theoretical ownership rights, if the owner can neither receive current income nor be allowed to dispose of his property. The action of the Pakistan Government amounts to a virtual confiscation of all non-Muslim evacuee property."

Then there is a "Postscript" to this brochure *Concerning Evacuee Property*. It says:

"There have been further developments since the above was written. On October 15, the Pakistan Government promulgated a new Central Evacuee Property Ordinance extending over the whole of Pakistan, including East Bengal, where, however, for the time being the ordinance will not be applied. The provisions of the ordinance have been made stricter and any person can become an evacuee from Pakistan, even though he continues to live there and has never left the country, so long as even a distant relative of his has gone to India. No provision for appeal to any authorized court exists. It is no longer obligatory on the Custodian to notify the property he has taken over. Further, the onus of pointing out the property to the Custodian has been thrown upon its occupiers, and the property is supposed to vest in the Custodian from March 1, 1947—a date nearly six months prior to the partition of the country. Thus the law gives no opportunity to non-Muslims to defend themselves, or even to know that their prop-

perty vests in the Custodian until it is actually taken away from them.

Three days after the issue of the Pakistan Ordinance, the Government of India also promulgated a Central Evacuee Property Ordinance which does not apply to the eastern parts of the country. The Government of India have thus continued to honour their agreement in regard to East and West Bengal. They have also made the law milder inasmuch as property does not automatically vest in the Custodian. A notice has to be served on the owner who is given full opportunity to defend his case before any property can be declared evacuee property. The definition of 'evacuee' has also been made milder, and many persons who would have become evacuees under the older law will not be so regarded under the new definition.

The action of the two Governments is an indication of how their minds work."

There was provision of appeal, and people have made appeals. And then there was the provision of section 16. As for the extent of the property, that could be declared. An estimate of the Government in the beginning was that the property that we had left behind was worth about Rs. 2,000 crores, and that left by the Muslims was Rs. 400 crores. Where has the property gone? We are told that it is Rs. 100 crores of property.

And then too there are obligations. Now, after those evacuees have exhausted all remedies that they have, of going before the Custodian, of filing appeals and writs also, with regard to the property that has been declared to be evacuee property now the Government has taken power under section 16 that it shall give certificates to them and restore that property if the Government thinks fit. That was the case of Chattriwala and

Japanwala and others, where property declared to be evacuee property was restored to them. Even now, when the Bill is coming, and when Government has declared that they can put in applications, 10,500 applications are there under section 16.

Dr. Ram Subhag Singh (Shahabad South): Chattriwala and Japanwala are here.

Sardar Hukam Singh: There are 10,500 applications just now received whose cases are to be reopened after all adjudication has been made. Now it is to be seen whether that property should be kept there as evacuee property or should be restored to them.

5 P.M.

It is amazing that even now some voice is raised and it is said that our law has been stringent and property has been taken from Muslims without adjudication and without giving them due consideration. This stringency of our law allows, even when a Muslim's sons and wife are there, provision has been made that the Muslim living here shall have liberty to send them maintenance, that he shall have opportunities to finance his business if he is carrying on that business there. Does he want anything else? His business has to be financed from here. His children are to be maintained from here. That flow can go on. Even then, there is a complaint that we have been treating these Muslims severely. It is said that we have taken over those properties without proper allocation and that there are women here, who are crying that their husbands are in Pakistan and they have not been able to meet their husbands. That is strange. An allegation was made against Shri Tandon. I have read that. I charge the lady that she is not right. That opportunity was given. Those people did return and to those who returned in time, all property had been restored. That complaint is made before the House, that these women are crying that they could not meet their husbands. Perhaps it is by intention or intrigue

[Sardar Hukam Singh]

that they are living apart. Otherwise, they could have come here and got their property.

It is said that it was a mistake that we created an interest for these refugees in these properties that were lying here. Even now, there are some local persons who are occupying these properties. Perhaps the hon. Lady Member wants that these persons here, whether Hindus or Muslims ought to have occupied all these properties that were vacated by the Muslims and not have left anything for these refugees who had come here. What was the fault of these refugees? Is it an act of mercy that is being done to them? Is it clemency that is being shown by this Government or the citizens of India to these refugees? As has been aptly remarked, was it not the price that we have to pay for the freedom that we got? Was that part only to be sacrificed for winning this freedom? Is it proper now to take up this attitude that the Delhi-walas committed some mistake and some interest was created in these tenements for the refugees? Let them occupy them. We do not want them. Did we want to come over to this side? Had we any desire to come over here because we saw something bright here? We never wanted to come. We wanted to stay there. We would not have come but for the mistake committed by the Government and by the Congress leaders, who are responsible for all the losses that we have suffered. Every pie of our loss should have been made good by this Government that was responsible for this Partition. The grave mistake that they committed has brought about all this tragedy that we mourn so much.

Some Members remarked that the Bill was belated and that it ought to have come earlier. Others replied that it is not. I say, it is. It ought to have come much earlier. We have been crying in this House that this Government would not be able to recover a single pie from the Pakistan Gov-

ernment. It was deceiving oneself if one believed that he could recover one pie from the Pakistan Government. As early as 9th February, 1950, I brought a non-official resolution where I stated clearly:

“We cannot go to war, we cannot get anything by negotiations, the evacuee property cannot be exchanged and the only thing left is that the Government should pay out of its own finances. But, it is said that our finances are limited. I know that. Some people have sent amendments to my resolution, that this should be taken out of Pakistan. If they still believe that they can get anything out of them, they are welcome.”

In reply to that, the hon. Minister Shri Gopaldaswami Ayyangar assured us that certainly he had committed himself that he would give them substantial contribution from the Government. As observed by my hon. friend Shri Gidwani, in reply to that resolution as well, he repeated that assurance that everything would be done and that the contribution would be substantial, which would satisfy the refugees. What is it that is coming now? When the hon. Minister brought out this Interim Compensation Scheme, it was stated that it was a fulfilment of a promise. What was that promise? That promise has been read out by Shri Gidwani. That promise was made on the 9th February, 1950. Is it being fulfilled? The hon. Lady Member concluded by saying:

“मजदूर के लिए क्या हुआ? विहाज के लिए क्या हुआ? जो छोटें लोग हैं, जो ऐसे आदमी हैं जिनके पास कोई क्लेम नहीं था, उनके वास्तें क्या हुआ?”

She has not read that. This sum of Rs 90 crores for the poor people: not for the upper class people. It is clearly laid down here that the Government contribution will go only to the needy persons—both claimants and non-claimants. It is not being put in the

compensation pool. It is rather a fraud when it is stated that the compensation pool is Rs. 190 crores. It is not so. It is only Rs. 100 crores, property that has been left by the Muslims. This sum of Rs. 90 crores is going towards rehabilitation and not compensation. It is not being put in the pool. It is also being distributed among non-claimants. How can we say that this is compensation that is being paid to those persons who have left properties there? It is meant for the poor people also. These rehabilitation grants have been even now provided.

Shri Gidwani: We have been demanding that these small loans should be written off.

Sardar Hukam Singh: As Shri Gidwani reminds me, we have been

demanding that these small loans given to non-claimants should be written off. If we were only solicitous about those who had large claims, that would not have been demanded. It was a unanimous demand. A limit of Rs. 300 has been fixed. We wanted that it should be raised to Rs. 500.

Shri Gidwani: We said that we do not mind if the pool is reduced.

Sardar Hukam Singh: We have said that we would suffer a reduction in the pool and that these poor people should be looked after and special consideration should be shown to them.

If you think, Sir, that it is already five o'clock, I have finished.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 22nd September, 1954.